लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३१, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXXI, 1964/1886 (Saka)

[२९ अप्रैल से ६ मई, १९६४/९ से १६ वैशाख, १८८६ (शक)]

April 29 to May 6, 1964/Vaishakha 9 to Vaisakha 16, 1886 (Saka)

Preservation Unit
Fumigated
On 14/12/83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३१ में अंक ६१ से ६६ तक हैं)

(Volume XXXI contains Nos. 61 to 66)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of Speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

[तृतीय माला, खंड ३१--सातवां सत्र, १९६४]

अंक ६१--बुधवार, २९ अप्रैल, १९६४/९ बैशाख, १८८६ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४६९३--४७१४
*तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१२३३	नहरकटिया उर्वरक कारखाना	४६९३--९६
१२३४	शिक्षा विकास की योजना	४६९६--९९
१२३५	केन्द्रीय शिक्षा निदेशालय	४६९९-४७०१
१२३६	शिक्षित अन्धे व्यक्तियों के लिए रोजगार	४७०१--०४
१२३७	दिल्ली के कालिजों में दाखिला	४७०४--०७
१२३८	ह्विटले परिषद् योजना	४७०७--१०
१२३९	विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श विधान	४७१०--११
१२४०	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र	४७११--१३
१२४१	गन्धक का तेज़ाब तैयार करने का संयंत्र	४७१३-१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४७१५--३९
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१२३२	नूनमाटी तेल शोधक कारखाना	४७१५
१२४२	हल्दिया में पेट्रो-केमिकल परियोजना	४७१५
१२४३	शिक्षा को बहुविध बनाना	४७१६
१२४४	काश्मीर षड़यन्त्र मुकदमा	४७१६-१७
१२४५	जर्मन अध्ययन की भारतीय संस्था, पूना	४७१७
१२४६	जाली पाठ्य पुस्तकें	४७१७
१२४७	मद्रास तथा हल्दिया तेल शोधक कारखाने	४७१८
१२४८	रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन	४७१८-१९
१२४९	दुर्गापुर उर्वरक परियोजना	४७१९
१२५०	हल्दिया से पाइप-लाइन	४७१९
१२५१	विश्वविद्यालय शिक्षा	४७२०
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२६०४	व्यावसायिक कालिजों में प्रवेश	४७२०
२६०५	दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय	४७२१

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXXI Seventh Session, 1964]

No. 61—Wednesday, April 29, 1964/Vaisakha 9, 1886 (Saka)

	Subject	Pages
	Orial Answers to Questions	4693—4714
	**Starred Questions Nos.*	
1233.	Naharkatiya Fertilizer Factory	4693—96
1234.	Perspective Plan for Education	4696—99
1235.	Central Directorate of Education	4699—4701
1236.	Employment of the Educated Blind	4701—04
1237.	Admission in Delhi Colleges	4704—07
1238.	Whitley Council Scheme	4707—10
1239.	Model Legislation for Universities	4710–11
1240.	Technical Teachers' Training Centres	4711—13
1241.	Sulphuric Acid Plant	4713—14
	Written Answers to Questions	4715—39
	Starred Questions Nos.	
1232.	Nonmati Refinery	4715
1242.	Petro-Chemical Project at Haldia	4715
1243.	Diversification of Education	4716
1244.	Kashmir Conspiracy Case	4716–17
1245.	Indian Institute of German Studies, Poona	4717
1246.	Spurious Text-Books	4717
1247.	Madras and Haldia Refineries	4718
1248.	Production of Chemical Fertilisers	4718–19
1249.	Durgapur Fertiliser Project	4719
1250.	Pipe-lines from Haldia	4719
1251.	University Education	4720
	Unstarred Questions Nos.	
2604.	Admission to Professional Colleges	4720
2605.	Hindi University in South	4721

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२६०६	"कैपसूल कवर" का निर्माण करने वाले कारखाने	४७२१
२६०७	घटिया दर्जे के शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशन	४७२१–२२
२६०८	लोकमान्य तिलक का स्मारक	४७२२
२६०९	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय . .	४७२२
२६१०	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें	४७२२
२६११	ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी	४७२२–२३
२६१२	दिल्ली में नगरीय भूमि का विकास	४७२३
२६१३	आनरेरी मजिस्ट्रेट .	४७२४
२६१४	लड़कियों की शिक्षा . .	४७२४
२६१५	पोलैंड के साथ वैज्ञानिक तथा प्रविधिक सहयोग	४७२४
२६१६	हिन्द महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय अभियान .	४७२४–२५
२६१७	विश्वविद्यालयों तथा कालिजों के अध्यापकों के लिये वार्षिकी	४७२५
२६१८	बरौनी और कोयाली तेल शोधक कारखाने	४७२५
२६१९	संश्लिष्ट रबड़ का मूल्य .	४७२६
२६२०	विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर . .	४७२६
२६२१	दिल्ली में एक संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु .	४७२६
२६२२	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय .	४७२७
२६२३	न्याय का प्रशासन .	४७२७
२६२४	नई दिल्ली नगरपालिका .	४७२७–२८
२६२५	गोदावरी-कृष्णा डेल्टा में तेल की खोज	४७२८
२६२६	उदयपुर का विस्तार-पुस्तकालय	४७२८
२६२७	लेखाचित्रीय कला . . .	४७२९
२६२८	अमरीकी तथा ब्रिटिश पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन . .	४७२९–३०
२६२९	दिल्ली के विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतन	४७३०
२६३०	दिल्ली पोलिटैक्निक . . .	४७३०–३१
२६३१	अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियो के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	४७३१
२६३२	सोवियत सर्कस .	४७३१–३२
२६३३	दिल्ली में इमारती सामान . .	४७३२
२६३४	मध्य प्रदेश बनवासी सेवामंडल . .	४७३२
२६३५	सेवानिवृत्त आई० सी० एस० अफसर . .	४७३३
२६३६	"ल्यूब आयल" संयंत्र	४७३३
२६३७	क्लोरीन और कास्टिक सोडा संयंत्र . .	४७३३–३४
२६३८	अर्जुन पारितोषिकों के लिये ट्राफी . . .	४७३४
२६३९	मानक शब्दावली	४७३४

Unstarred Questions Nos.	Subject	Pages
2606.	Capsule Cover Manufacturing Units	4721
2607.	Sub-Standard Educational Publications	4721—22
2608.	Memorial to Lokamanya Tilak	4722
2609.	Central Hindi Directorate	4722
2610.	Writ Petitions in Allahabad High Court	4722
2611.	Indian Students in British Universities	4722—23
2612.	Development of Urban Land in Delhi	4723
2613.	Honorary Magistrates	4724
2614.	Girls' Education	4724
2615.	Scientific and Technical Cooperation with Poland	4724
2616.	International Indian Ocean Expedition	4724–25
2617.	Annuity for University and College Teachers	4725
2618.	Barauni and Koyali Refineries	4725
2619.	Price of Synthetic Rubber	4726
2620.	Standard of University Education	4726
2621.	Death of a Suspect in Delhi	4726
2622.	Banaras Hindu University	4727
2623.	Administration of Justice	4727
2624.	New Delhi Municipal Committee	4727-28
2625.	Exploration in Godavari-Krishna Delta	4728
2626.	Extension Library at Udaipur	4728
2627.	Graphic Arts	4729
2628.	Publication of American and British Text Books	4729–30
2629.	Salaries of University Teachers of Delhi	4730
2630.	Delhi Polytechnic	4730–31
2631.	Scholarships to S.C. and S.T. Students	4731
2632.	Soviet Circus'	4731–32
2633.	Building Materials in Delhi	4732
2634.	Madhya Pradesh Vanvasi Sewa Mandal	4732
2635.	Retired I.C.S. Officers	4733
2636.	Lube Oil Plant	4733
2637.	Chlorine and Caustic Soda Plants	4733–34
2638.	A Trophy for Arjuna Awards	4734
2639.	Standard Terminology	4734

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६४०	वैशाली (बिहार) में संग्रहालय . .	४७३४–३५
२६४१	कोठागुडियम में उर्वरक, संयंत्र . .	४७३५
२६४२	दण्डकारण्य में आदिवासी भाषाओं की लिपि .	४७३५
२६४३	जेल की आदर्श नियम पुस्तक . . .	४७३५–३६
२६४४	दिल्ली में इर्विन की मूर्ति का हटाया जाना .	४७३६
२६४५	केन्द्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल . . .	४७३६–३७
२६४६	अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये आरक्षण	४७३८
२६४७	अन्दमान में स्कूलों का सम्बद्ध किया जाना . .	४७३८
२६४८	फ्रांस सरकार की छात्रवृत्तियां . .	४७३८
२६४९	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	४७३८–३९
२६५०	दिल्ली में भिखारियों की समस्या .	४७३९
२६५१	जर्मन अध्ययन की भारतीय संस्था, पूना	४७३९
सभा पटल पर रखे गये पत्र		४७४०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति		
	तैंतालीसवां प्रतिवेदन . . .	४७४०
समितियों के लिये निर्वाचन		
	(१) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड; तथा . .	४७४०–४१
	(२) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	४७४१
विधेयक पुरःस्थापित		
	(१) करारोपण विधियां (वसूली की कार्यवाही को जारी रखना और वैध बनाना) विधेयक, १९६४ . . .	४७४२
	(२) पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक .	४७४२
भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक .		४७४२–४९
	विचार करने का प्रस्ताव	४७४२
	श्री च० का० भट्टाचार्य	४७४३
	श्री प्रिय गुप्त	४७४३–४४
	श्री वारियर . .	४७४४
	श्री हिम्मतसिंहका .	४७४४
	श्री पैं० वैंकटासुब्बया	४७४४
	श्री प्र० रं० चक्रवर्ती .	४७४५
	श्री रंगा .	४७४५

Uutarrest *Questions Nos.*	Subject	Pages
2640.	Museum at Vaisali (Bihar) .	4734–35
2641.	Fertiliser Plant at Kothagudium . . .	4735
2642.	Script for Adivasi Language in Dandakaranya .	4735
2643.	Model Jail Manual	4735–36
2644.	Removal of Irwin Statue in Delhi	4736
2645.	Central Higher Secondary Schools . .	4736–37
2646.	Reservation for S. Cs. and S. Ts. . . .	4738
2647.	Affiliation of Schools in Andamans . .	4738
2648.	Government of France Scholarships .	4738
2649.	Aligarh Muslim University	4738–39
2650.	Beggar Problem in Delhi	4739
2651.	Indian Institute of German Studies, Poona . .	4739
Papers laid on the Table		4740
Committee on Private Members' Bills and Resolutions Forty-third Report		4740
Elections to Committees		
1.	Central Advisory Board of Archaeology; and .	4740–41
2.	Central Advisory Board of Education . . .	4741
Bills introduced		
1.	Taxation Laws (Continuation and Validation of Recovery Proceedings) Bill	4742
2.	East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Delhi Amendment) Bill	4742
Indian Medical Council (Amendment) Bill . .		4742—49
Motion to consider		4742
	Shri C. K. Bhattacharyya	4743
	Shri Priya Gupta	4743–44
	Shri Warior	4744
	Shri Himatsingka	4744
	Shri P. Venkatasubbaiah	4744
	Shri P. R. Chakravertty	4745
	Shri Ranga	4745

विषय	पृष्ठ
डा० सुशीला नायर	४७४५—४७
खण्ड २ से १७ और १	४७४८
पारित करने का प्रस्ताव	४७४९
डा० सुशीला नायर .	४७४९
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा विधेयक	४७४९—६३
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
श्री मु० क० चागला .	४७४९—५०
श्री वारियर . .	४७५०
डा० गोविन्द दास .	४७५१
श्री यशपाल सिंह	४७५१–५२
श्री सुब्बरामन . .	४७५२–५३
श्री ओंकार लाल बेरवा	४७५३
श्री प० गो० मेनन	४७५३–५४
श्री रामभद्रन	४७५४
श्री टे० सुब्रह्मण्यम .	४७५४–५५
श्री अल्वारेस .	४७५५
डा० सरोजिनी महिषी . .	४७५५–५६
श्री राम सेवक यादव	४७५६–५७
श्री ओझा	४७५७–५८
डा० मा० श्री अणे	४७५८
श्री हिम्मतसिंहका	४७५८–५९
श्री काशीराम गुप्त .	४७५९
श्री प० ना० कयाल . .	४७५९
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	४७५९–६०
श्री हेडा	४७६०
श्री शिव नारायण . .	४७६०
श्री प्रकाशवीर शास्त्री . . .	४७६०–६१
श्री च० का० भट्टाचार्य	४७६१
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी .	४७६१–६२
श्री राम सहाय पाण्डेय .	४७६२
श्री प० ला० बारूपाल	४७६२
श्री भक्त दर्शन	४७६३
कार्य मंत्रणा समिति	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित	४७६३
ग्रामीण जल-सम्भरण के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . .	४७६३—६८
श्री हरिश्चन्द्र माथुर . . .	४७६३—६६
डा० सुशीला नायर . . .	४७६६—६८

Subject	Pages
Dr. Sushila Nayar	4745—47
Clauses 2 to 17 and 1	4748
Motion to pass	4749
Dr. Sushila Nayar	4749
Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha Bill	4749—63
Motion to consider as passed by Rajya Sabha	
Shri M. C. Chagla	4749–50
Shri Warior	4750
Dr. Govind Das	4751
Shri Yashpal Singh	4751–52
Shri Subbaraman	4752–53
Shri Onkar Lal Berwa	4753
Shri P. G. Menon	4753–54
Shri Ramabhadran	4754
Shri T. Subramanyam	4754–55
Shri Alvares	4755
Dr. Sarojini Mahishi	4755–56
Shri Ram Sewak Yadav	4756–57
Shri Oza	4757–58
Dr. M. S. Aney	4758
Shri Himatsingka	4758–49
Shri Kashi Ram Gupta	4759
Shri P. N. Kayal	4759
Shri Siddhanti	4759–60
Shri Heda	4760
Shri Sheo Narain	4760
Shri Prakash Vir Shastri	4760–61
Shri C. K. Bhattacharyya	4761
Dr. L. M. Singhvi	4761–62
Shri R. S. Pandey	4762
Shri P. L. Barupal	4762
Shri Bhakt Darshan	4763
Business Advisory Committee	
Twenty-seventh Report presented	4763
Half-an-Hour Discussion re : Rural Water Supply	4763—68
Shri Harish Chander Mathur	4763—66
Dr. Sushila Nayar	4766—68

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

------

29 अप्रैल, 1964। 9 वैशाख, 1886 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 4729, अतारांकित प्रश्न संख्या 2627 , शीर्षक में "लौकिक" शब्द निकाल दीजिये ।

पृष्ठ 4738 , अतारांकित प्रश्न संख्या 2646 , सदस्य का नाम "श्री डी0 च0 सोय" के स्थान पर "श्री ह0 च0 सोय" पढ़िये ।

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, २९ अप्रैल, १९६४/९ बैशाख, १८८६ (शक)

Wednesday, April 29, 1964/Vaisakha 9, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नहर कटिया उर्वरक कारखाना

\+

*१२३३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपातकाल के कारण काम में विघ्न पड़ने से नहर कटिया उर्वरक कारखाने को धक्का पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो काम कार्यक्रम से कितना पीछे रह गया है ;

(ग) इस समय काम की प्रगति क्या है ; और

(घ) काम के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). जी, हां। समय क्रम लगभग एक साल पीछे पड़ गया है जो कुछ तो संकट काल के कारण और कुछ निरन्तर वर्षा के कारण है लेकिन मुख्य कारण यह है कि कम बोझ सहने की क्षमता वाली जमीन पर चलने वाली मशीनों तथा कम्प्रेशर का डिजाइन बनाने में काफी कठिनाई महसूस हुई है।

(ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

नहर कटिया उर्वरक परियोजना के काम की प्रगति इस प्रकार है :—

परियोजना के सम्पूर्ण क्षेत्र का (८०९.९२ एकड़) जमीन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है । तीन एकड़ क्षेत्र को छोड़कर के भूमि अर्जन भी पूरा हो गया है । लगभग २० लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जा चुका है ।

२. मुख्य कारखाने के १०० प्रतिशत क्षेत्र और नगर के ६० प्रतिशत क्षेत्र को समतल बनाया जा चुका है । कारखाने और बस्ती के क्षेत्र में बनायी जाने वाली २९ किलोमीटर सड़क में से ६ किलोमीटर सड़क बनायी जा चुकी है । ९०० रिहायशी क्वार्टरों में से २१६ मकान बनाये जा चुके हैं और उन में सर्विस कन्नेक्शन दिये जा चुके हैं ।

३. ८५ प्रतिशत प्लान्ट डिजाइन और ३५ प्रतिशत सिविल डिजाइन पूरा हो चुका है । डिल्ली नदी से स्थायी जल पूर्ति के लिए २४" ब्यास के पाइप के लिए १६,००० आरफीट में से ११,६०० आर फीट पाइप डाली गयी जा चुकी है । लगभग कुल ८००० मीट्रिक टन माल में से १९९५ मीट्रिक टन आयातित संयंत्र और साजसामान कारखाने की जगह पर पहुंच चुका है । ७०५ मीट्रिक टन माल आ रहा है ?

४. १० साल की अवधि के लिए आयल इंडिया लिमिटेड से प्राकृतिक गैस की खरीद के लिए औपचारिक करार किया जा रहा है । जल पूर्ति के मूल्य के बारे में आसाम राज्य बिजली बोर्ड से बातचीत हो रही है ।

(घ) अनुमान है कि १९६६ के आखिर तक कारखाना चालू कर दिया जायगा ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या इस उर्वरक कारखाने के लिए आवश्यक मशीनें कांडला बंदरगाह से होकर मंगायी जाती हैं और उन्हें कलकत्ता या नजदीक के किसी बंदरगाह से हो कर मंगाने में क्या कठिनाइयां हैं और क्या इस से परिवहन की लागत नहीं बढ़ जायगी ?

श्री अलगेशन : हम अभी उस प्रक्रम तक नहीं पहुंचे हैं। मुझे मालूम नहीं कि वह कांडला बंदरगाह या अन्यत्र कहीं मंगायी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि सर्वोत्कृष्ट ढंग से परिवहन की व्यवस्था की जायगी ।

श्री सुबोध हंसदा : जो अमोनियम सल्फेट संयंत्र वहां लगाया जाने वाला है वह हमारे देश में तैयार किया जायगा या बाहर से मंगाया जायगा और यदि वह देश में तैयार किया जाने वाला हो तो वह किस कारखाने में तैयार किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : बाहर से मंगायी जाने वाली मशीनों के लिए हम टेन्डर मंगायेंगे । उसका कुछ हिस्सा यहां भी तैयार किया जा सकता है । जहां तक संभव हो हम भारत में बनी मशीनें लेंगे, बाकी हमें विदेशों से मंगाना पड़ेगा ।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण से मालूम होता है कि भूमि का अर्जन पूरा हो गया है । क्या उसके लिए मुआवजा दिया गया है और उनके लिए जमीन के बदले जमीन की व्यवस्था की जायगी ?

श्री अलगेशन : २० लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। विवरण के पहले पैरा में उसका उल्लेख है।

श्री नि० रं० लास्कर : अभी हाल में योजना आयोग ने भी यह महसूस किया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए इस उद्योग का तुरन्त विकास किया जाना चाहिये। उसे ध्यान में रखते हुए लक्ष्य की तारीखों के अन्दर ही उर्वरक यूनिट बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री अलगेशन : हम अपनी सभी परियोजनाओं को लक्ष्यतिथियों के अन्दर पूरा करना चाहते हैं लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिन के कारण हम अपने लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। इस मामले में संकट काल की स्थिति है और उस से महत्वपूर्ण जमीन की हालत है, हम जमीन की छान बीन कर रहे हैं और यदि यह ठीक समझी गयी तो वर्तमान स्थान से कुछ दूरी पर हमें जाना होगा और तब हम बढ़ सकेंगे।

श्री हेम बरुआ : क्या नहरकटिया उर्वरक कारखाने के लिए बाहर से मंगायी गयी कुछ मशीनें स्टैन्डर्ड नहीं पायी गयी और कुछ मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं ? क्या इस कारखाने में काम बंद पड़ जाने का एक कारण यह भी है ?

श्री अलगेशन : हम अभी उस दशा तक नहीं पहुंचे हैं।

श्री दे० जी० नायक : नगर बस्ती की कुल लागत कितनी होगी, उसका निर्माण कब पूरा हो जायगा और वह लागत कारखाने की लागत का कितना प्रतिशत होगा ?

श्री अलगेशन : अनुमानित कुल लागत १६ करोड़ रुपये है और उस में विदेशी मुद्रा ६.९ करोड़ रुपये की है। मेरे पास अलग अलग ब्योरा और बस्ती की लागत नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : बाकी काम संभवतः कब तक पूरा हो जायगा और कारखाना चालू हो जाने पर उसकी प्रारंभिक क्षमता कितनी होगी ?

श्री अलगेशन : इस उर्वरक कारखाने में १ लाख टन अमोनियम सल्फेट और ५५००० टन यूरिया तैयार किया जायगा। वह १९६६ के आखिर तक चालू किया जायगा।

श्री अ० प्र० शर्मा: चूंकि यह परियोजना एक साल पिछड़ गयी है, क्या उसकी लागत वही रहेगी या बढ़ जायेगी ?

श्री अलगेशन : मैं ने बताया है कि वह सिर्फ अनुमान है। मैं यह नहीं बता सकता कि वह बढ़ जायगी या कम हो जायगी।

Shri Yashpal Singh : In reply to the question, emergency has been stated as the cause of delay. In view of emergency, the work should have been expedited. How is it that the schedule has gone behind?

Shri Humayun Kabir : The difficulty is that building cannot be constructed because land cannot bear more burden. The character of land would not change on account of emergency.

श्री प्रिय गुप्त : क्या यह योजना स्वीकार करने से पहले इन कठिनाइयों की छानबीन नहीं की गयी थी और जमीन की ये कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या तरीके सोचे गये हैं और उस पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

श्री अलगेशन : इस में अतिरिक्त व्यय का प्रश्न नहीं है । सहयोगी जमीन की हालत से संतुष्ट नहीं थे और वे दो बारा छान बीन करना चाहते थे । हम ने मेसर्स सीमेन्टेशन इंडिया लिमिटेड से सारे मामले की छानबीन करने के लिए कहा है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर नींव की डिजाइन हमारे सहयोगियों द्वारा तैयार की जायगी । यदि हम ने दोष पूर्ण स्थान लिया होता तब अतिरिक्त लागत लगती ।

शिक्षा विकास की योजना

\+

*१२३४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दे० जी० नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री विशनच द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले पन्द्रह वर्षों के लिये शिक्षा के विकास की योजना की मोटी रूप रेखा तैयार करने के लिये एक केन्द्रीय आयोजना दल गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दल के सदस्य कौन हैं तथा वह किस प्रकार का काम करेगा ; और

(ग) यह दल शिक्षा के सभी प्रक्रमों तथा पहलुओं की जांच कब तक पूरी कर लेगा और कब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय म रखी गयी । देखिए संख्या एल.टी.२८०४/६४]** ।

Shri Siddheshwar Prasad : Sir, it has been stated in the statement "पर अध्ययन के प्रत्येक विषय पर अलग से अपनी सिफारिश पेश करेगी ताकि उसे शीघ्र कार्यान्वित किया जा सके । "

I would like to know what are the main issues before this study Group. मुख्य विषय क्या है और क्या वह उसे अमल में लाने पर विचार करेगी ?

श्री मु० क० चागला : कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं है । कल्पना यह है कि कार्यवाही दल चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार करे और यह भी सोचे कि १९८० या १९८१ तक भविष्य

की परियोजनाओं के संदर्भ में शिक्षा का क्या रूप होगा। यह एक छोटा कार्यकारी दल है जिसकी दो महीने में एक बार बैठक होती है और जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। कागजात तैयार किये जाते हैं और हम वास्तव में इस बारे में सोच रहे हैं कि चौथी योजना में शिक्षा का रूप किस प्रकार का हो।

Shri Siddheshwar Prasad : Has Government's attention been drawn to the fact that long ago Kher Committee had recommended that ten per cent of Central Revenues and twenty per cent of State Revenues be spent on ducation and if so, has this Study Group thought over this recommendation and if so, at what conclusion it has reached ?

श्री मु० क० चागला : शिक्षा पर व्यय का प्रश्न राज्यों के शिक्षा मंत्री सम्मेलन में उठाया गया था और सम्मेलन ने सर्वसम्मति से संकल्प किया था कि केन्द्रीय सरकार को शिक्षा पर अधिक खर्च करने के लिए आग्रह करना चाहिये। २० प्रतिशत खर्च करने के की खेर समिति की सिफारिश राज्य सरकारें कार्यान्वित कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार १० प्रतिशत के मुकाबले में ४ प्रतिशत खर्च कर रही है। शिक्षा संबंधी व्यय के मामले में भारत दुनिया में सब से अधिक पिछड़ा हुआ देश है।

श्री दे० जी० नायक : विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि भारत में शिक्षा के दीर्घ-कालीन और अल्पकालीन विकास से में कुछ मूलभूत प्रश्न है। सेकेन्डरी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वे मूलभूत प्रश्न क्या हैं ?

श्री मु० क० चागला : प्राथमिक शिक्षा के संबंध में मूलभूत विषय यह संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त करतना है कि ५ से १४ वर्ष तक की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। हम अभी उस लक्ष्य से बहुत दूर हैं और प्रश्न यह है कि उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाये। दूसरे विषय इस प्रकार हैं :—शिक्षकों का प्रशिक्षण किस प्रकार सुधारा जाये और स्कूल के लिए जरूरी इमारतें किस तरह बनायी जायें। ये समस्याएं हैं। यह स्पष्ट है कि हमें संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहिये।

सेकेन्डरी शिक्षा के विषय में, अधिक कालेजों, अधिक अच्छे शिक्षकों, विज्ञान की अधिक शिक्षा, अधिक विविधता, अधिक पाठ्य पुस्तकें, इत्यादि पर बल दिया जाता है। ये ही कुछ समस्याएं हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार यह मानती है कि इस योजना की स्थूल रूपरेखा बनाने में सब से पहले जरूरी बात यह है कि वर्तमान प्रणाली समाप्त की जाय और कुछ स्वायत्तशासिता दी जाये और दूसरी यह है कि निराशा दूर करने के लिए संबंधित लोगों का एक जैसा वेतन हो ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। हमारा एक लक्ष्य यह है कि सभी अध्यापकों के लिए एक से वेतन-क्रम हों किन्तु भुगतान राज्यों को करना होता है। केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत सहायता देती है लेकिन राज्यों के पास ५० प्रतिशत देने के लिए भी साधन नहीं है। यह भी एक समस्या हमारे सामने है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह कार्यकारी दल इस बात पर विचार कर रहा है कि विभिन्न अध्यापकों के वेतन किस प्रकार बढ़ाये जायें ताकि उन्हें न्यूनतम मूलधन मजरी मिल सके ?

श्री मु० क० चागला: मैंने अभी बताया है कि हम ५० प्रतिशत अनुदान दे रहे हैं लेकिन राज्यों के पास साधन नहीं हैं। हम अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यदि वित्त मंत्रालय सहमत हो तो क्या हम आंशिक अनुदान समाप्त करके राज्यों को पूरा अनुदान ही दे सकते हैं।

Shri Sheo Narain : Who is the Chairman of this Group and who are the members and what is there number ?

Shri M. C. Chagla : I am the Chairman and the names of members ara given in the Statement.

Shri M. L. Dwivedi : In regard to our educational system, the President has said several times that character building is not given the emphasis and future citizen are not being properly built up. Has the Education Ministry considered over it and asked this working group to work in this direction; and if not, when it would be taken up for consideration ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, हम अवश्य उस पर विचार करेंगे। चरित्र निर्माण के बिना शिक्षा निरर्थक है। यह कार्यकारी दल स्कूलों और कालेजों में छात्रों के अनुशासन और चरित्र-निर्माण के प्रश्नों पर अवश्य ही विचार करेगा।

Shri Kishen Pattnayak : No decision has so far been taken in regard to fundamentals of education. I would take to know whether any final decision would be taken in regard to medium of instruction before the fourth Plan.

श्री मु० क० चागला : मुझे मालूम नहीं कि शिक्षा के माध्यम के बारे में कोई निर्णय किया जायेगा या नहीं। सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षा के माध्यम का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वहां तो मातृभाषा होगी; प्रश्न केवल विश्वविद्यालयों के बारे में है। विभिन्न राज्यों के अलग अलग विचार हैं और भारत के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का एक ही माध्यम बनाया जा सकेगा या नहीं यह मैं नहीं जानता।

श्री रंगा : खासकर उन मामलों में जहां राज्य सरकारें अपना हिस्सा नहीं दे सकतीं क्या इस बात पर विचार किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के हिस्से से ही अध्यापकों को वेतन में वृद्धि दी जाये बशर्ते कि अध्यापक उस ५० प्रतिशत से ही संतोष कर लें ?

श्री मु० क० चागला : कठिनाई यह है कि यदि हम एक राज्य को पूरा पूरा अनुदान दें तो दूसरे राज्य कहेंगे कि भेदभाव हो रहा है। अधिकांश राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को ५० प्रतिशत अनुदान देना और बाकी के लिए धन की व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया है। लेकिन कुछ राज्य जैसे बिहार ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो भी नीति हम अपनाये हमें सभी राज्यों पर समान रूप से लागू करना चाहिये। हम एक राज्य के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। हम चाहे जितना ही अनुदान दे या वेतन में वृद्धि की जाय, ५० प्रतिशत खर्च राज्यों को अवश्य ही उठाना पड़ेगा। यही हमारी मौजूदा नीति है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या इस समिति या दल ने किसी बनियादी बात के बारे में कोई सिफारिश की है और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का अंशदान बढाने और देश में शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने की संभावना के बारे में भी कोई सिफारिश है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, मुझे यह बताने में बड़ी खुशी है कि शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सभी शिक्षा मंत्री इससे सहमत थे कि केन्द्र समर्थित योजनाओं का काफी विस्तार किया जाय

ताकि हम केन्द्रीय सरकार की योजनाओं को, जब तक कि वित्त मंत्रालय की सहमति मिलती रहेगी, कार्यान्वित कर सकें, उनका खर्च दे सकें और अपनी नीति को कार्यान्वित कर सकें।

श्री दी० चं० शर्मा : यह कार्यकारी दल किस आधार पर चुना गया है और वह शिक्षा मंत्री द्वारा अक्सर दोहराये गये इस प्रस्ताव के कहां तक अनुरूप है कि वह अध्यापकों को इसमें शामिल करेंगे ?

श्री मु० क० चागला : उसमें कुछ अध्यापक हैं। उदाहरण के लिए श्री नटराजन का अध्यापन कार्य से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : वह अध्यापक नहीं हैं।

श्री मु० क० चागला : किसी के चुनाव में, सभी हितों का संतुष्ट करना कठिन है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि वास्तव में सक्रिय अध्यापकों को शामिल किया जाये तो मैं उस ओर ध्यान दूंगा और यदि कोई कमी रह गयी हो तो उसे पूरी करूंगा।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या यह कार्यकारी दल वही नीति और कार्यक्रम दोहरायेगा जो हम इन वर्षों में पूरा नहीं कर सके या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई नये कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा ?

श्री मु० क० चागला : वह नये हैं या पुराने यह मैं नहीं जानता लेकिन शिक्षा के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

केन्द्रीय शिक्षा निदेशालय

*१२३५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा निदेशालय या ऐसे ही किसी नाम के अन्तर्गत शिक्षा को समन्वित करने के लिए कोई केन्द्रीय निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस निदेशालय के कृत्य क्या होंगे तथा इसका गठन किस प्रकार किया जायेगा;

(ग) इस निदेशालय के लिए कर्मचारी भर्ती करने की पद्धति क्या होगी; और

(घ) क्या ऐसा कोई निकाय पहले से भी रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या भारत सरकार ने कभी किसी समय ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया है ? यदि नहीं तो क्या सरकार बिना ऐसी संस्था के शिक्षा का समन्वय करना और निरीक्षण करना सम्भव समझती है ?

श्री मु० क० चागला : हमारे यहां केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हिन्दी की अनेक समस्याएं हैं। लेकिन किसी अन्य प्रकार की शिक्षा के सम्बन्ध में किसी शिक्षा निदेशालय की मैं आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि स्वत: मंत्रालय को ही वह काम करना चाहिये। उसके लिए हम निदेशालय नहीं चाहते।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस समय यह कार्य करने के लिए मंत्रालय में कौन सा ढांचा है और मंत्री यह किस प्रकार कह सकते हैं कि प्रस्तावित केन्द्रीय निदेशालय जो काम करेगा वह काम मंत्रालय करने में समर्थ है ?

श्री मु० क० चागला : मंत्रालय में बहुत अधिक अफसर हैं, सचिव, उपसचिव और अवर सचिवा वे इन कार्यों को ठीक तरह कर सकते हैं।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या निदेशालय को सौंपे जाने वाले कार्यों में, प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक एक सर्वांगीण शिक्षा नीति का समन्वय करना एक कार्य होगा ताकि सारे देश में एक सी नीति अपनायी जा सके ?

श्री मु० क० चागला : हम ने तीन चीजें की हैं। हमारे यहां यह आयोजन समूह है। हम ने अभी हाल में शिक्षा सम्मेलन बुलाया है। मैं एक आयोग की स्थापना कर रहा हूं जो संपूर्ण शिक्षा की समीक्षा करेगा। मैं समझता हूं कि इन तीन संस्थाओं की सहायता से हम संपूर्ण शिक्षा का समन्वय कर सकेंगे।

श्री स्वैल : एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने अभी हाल में बताया था कि अभी हाल के शिक्षा मंत्री सम्मेलन में यह मान लिया गया था कि शिक्षा को समवर्त्ती विषय समझा जाये। इस निश्चय को देखते हुए क्या मंत्री महोदय यह समझते हैं कि केन्द्रीय शिक्षा निदेशालय न बनाने से उनके निश्चय में कोई परिवर्तन हो सकता है ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि अधिकाधिक विशिष्ट विषय केन्द्रीय सरकार पर छोड़ने के निश्चय से केन्द्रीय निदेशालय की स्थापना का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बासप्पा : क्या सेकेन्डरी स्कूलों में शिक्षाक्रमों में अधिक विभिन्नता होगी और शिक्षा का खर्च चलाने की प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जायगा ?

श्री मु० क० चागला : जी हां; दोनों ही मामलों में; आमूल परिवर्तन होने की आशा है। सेकेन्डरी क्रम में हम अधिक विविधता चाहते हैं और शिक्षा का खर्च चलाने की अधिक अच्छी पद्धति चाहते हैं।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि स्वाधीनता के पिछले १७ वर्षों में विभिन्न राज्यों ने भिन्न भिन्न स्टैन्डर्ड और शिक्षा का अलग अलग ढांचा अपनाया है, शिक्षा का समन्वय करने और सारे देश के लिए एक सा ढांचा प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

श्री मु० क० चागला : विविधता में एकता भारत की शान है और मैं समझता हूं कि वह शिक्षा के मामले में भी लागू होता है। हम ने शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर शुरुवात की थी। शायद वह गलती थी। यदि वह राज्य का विषय है, तो भारत में सभी राज्यों की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं और सभी अपने अपने प्रयोग करते हैं लेकिन मुझे यह बताने में खुशी होती है कि अब अधिकाधिक यह महसूस किया जा रहा है कि शिक्षा का राष्ट्रीय ढांचा होना चाहिये।

Shri Sheo Narain : In order to end this diversity, are Govt. ready to nationalise education ?

श्री मु०क० चागला : जी नहीं, मैं समझता हूं कि शिक्षा में काफी प्रयोग होने चाहिये। शिक्षा के लिए राष्ट्रीयकरण बहुत बुरा है।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं के विकास के लिए वे एक स्पेशल बोर्ड बनाना पसन्द करेंगे ? चूंकि ग्रामीण लोग पूरी पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए मंत्रालय ने क्या खास कदम उठाये हैं ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि ग्रामीण शिक्षा की ओर हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिये। उसकी उपेक्षा हुई है और वह उस स्टैन्डर्ड तक नहीं पहुंचा है जहां तक कि हम चाहते हैं। मैं माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि ग्रामीण शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की ओर हम वास्तव में अधिक ध्यान दे रहे हैं।

शिक्षित अंधे व्यक्तियों के लिये रोजगार

\+

१२३६. **डा० सारादीश राय :**
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित अन्धे व्यक्तियों को उपयुक्त कामों में लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन्) : (क) अन्धे व्यक्तियों सहित अपंग लोगों को काम पर लगाने के लिये ८ विशेष काम दिलाऊ दफ्तर स्थापित किये गये हैं। देश के अन्य काम दिलाऊ दफ्तरों से भी कहा गया है कि वे इन व्यक्तियों को हर संभव सहायता प्रदान करें। नियोजकों द्वारा निर्देशित किये गये रिक्त स्थानों के लिए काम दिलाऊ दफ्तर जो उम्मीदवार भेजता है उसके प्रयोजनार्थ अन्धे व्यक्तियों सहित अपंग लोगों को पूर्वता सूची नं० ३ में सम्मिलित किया गया है।

(ख) भारत सरकार की नीति यह है कि रोजगार के लिये अन्धे व्यक्तियों सहित अपंग लोगों के प्रार्थना पत्रों पर अत्यधिक सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय।

डा० सारादीश राय : क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्धे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त समझे गये कामों को परिभाषित किया है और यदि हां, तो क्या गैर सरकारी नियोजकों तथा राज्य सरकारों को अनुदेश भेजे गये हैं ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : जी, हां। हमने समस्त राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि वे अपना सहयोग प्रदान करें। हमारी सहायता से इन काम दिलाऊ दफ्तरों को राज्य सरकारें चलाती हैं। अतः, हमारे बीच समन्वय रहता है।

डा० सारादीश राय : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्धे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त समझे गये कामों को परिभाषित किया है।

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन् : जी, हां । अन्धे व्यक्तियों के लिये वे काम निश्चित किये गये हैं जिनका क्रम एक जैसा चलता रहे, उनमें कोई फेरबदल न हो । कुछ निश्चित कामों के लिए ये व्यक्ति उपयुक्त हैं । सब काम दिलाऊ दफ्तरों को इन कामों की जानकारी है तथा उनमें से प्रत्येक के यहां एक शिक्षक भी रहता है जो कि इस बात से परिचित होता है कि अन्धे व्यक्तियों को किस प्रकार के काम में लगाया जाय ।

श्री वारियर : क्या उचित शिक्षा प्राप्त अन्धे व्यक्ति नौकरी के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : ऐसी बात बिल्कुल नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि अन्धे व्यक्तियों के लिए रोजगार के काफी अवसर हैं । क्या केन्द्र अथवा राज्य सरकारों ने समस्त काम दिलाऊ दफ्तरों को निश्चित अनुदेश दिये हैं कि जिन व्यक्तियों के गत एक वर्ष से नाम दर्ज हैं उनको अवश्य कोई काम दिया जाना चाहिये ? उत्तर प्रदेश में किसी को भी काम नहीं मिला है ।

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : मैं यह नहीं कहूंगी कि जितना होना चाहिये था उतना हमने किया है अथवा प्रत्येक शिक्षित अन्धे व्यक्ति को काम मिल गया है । मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि योग्यता-प्राप्त इन अन्धे व्यक्तियों को उपयुक्त कामों पर लगाना अनेक कठिनाइयों के कारण बहुत कठिन है । इन नये काम दिलाऊ दफ्तरों को १९५९ में स्थापित किया गया था । उसके बाद से, मुझे यह कहते हुए हर्ष है, कि इन ४ वर्षों में जनवरी, १९६४ तक हमने १,०२२ अपंग व्यक्तियों को रोजगार दिया है । इसमें अन्धे व्यक्तियों की संख्या केवल १७७ है । अतः हम प्रशिक्षण का तरीका बदल कर चले आ रहे बुनाई तथा टोकरी बनाने आदि के प्रशिक्षण के स्थान पर उनकी हल्की इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण दे रहे हैं जिसमें उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती ज्योत्सना चन्दा ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहती थी कि कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल चुका है जिसका उत्तर माननीय उपमंत्री जी दे चुके हैं ।

Shri Yashpal Singh : How many blind persons have been placed in employment in the Central Braille Press, Dehradun, which is a very large or anisation of these people ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of Colleges in the country meant for blind persons, the number of persons who receive education in these Colleges every year, the number of men and women out of them as also of those who are offered employment ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : इनके लिए कोई पृथक कालिज नहीं है । विश्वविद्यालयों के कालिजों में इन अन्धी लड़कियों तथा लड़कों के दाखिले के बारे में कोई कठिनाई नहीं है । इनके लिए पृथक अनेक स्कूल हैं । जिनका संचालन राज्य सरकारें करती

हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित अन्धों की एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्था देहरादून में हैं जिसमें लड़कों तथा लड़कियों को अलग अलग शिक्षा दी जाती है।

श्री कन्डप्पन : अन्धे व्यक्ति किन किन रोजगारों में जा सकते हैं और क्या मद्रास के पूनामल्ली स्थित अन्धों के स्कूल को कोई केन्द्रीय सहायता दी जाती है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : बेंत की कुर्सियां बनाना, बेंत के काम, जिल्दसाजी, बुनाई आदि के दस्तकार्य के काम सीखने के बाद ये स्वयं अपनी रोज़ी कमा सकते हैं । हल्की इंजीनियरिंग तथा ब्रेली प्रेस के काम भी हैं जिनकी संख्या अधिक नहीं है । हल्की इंजीनियरिंग में रोजगार के सबसे अधिक अवसर है । पूनामल्ली स्कूल के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है क्योंकि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । जहां तक मुझे पता है, राज्यों के द्वारा दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त, हम और कोई विशेष सहायता नहीं दे रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: My question has not been answered.

Mr Speaker : So many details connot be given.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is the total ?

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इन व्यक्तियों को रोजगार कम मिलने का एक कारण यह भी है कि वर्तमान संस्थाओं में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों की भारी संख्या के मुकाबले इन संस्थाओं की संख्या कम है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : हमें काफी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की आवश्यकता है तथा हम विभिन्न प्रदेशों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्थायें चलाने की कोशिश कर रहे हैं । पहले जो बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था, उससे, हमने देखा, इन व्यक्तियों को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा । इसीलिए हमने देहरादून में यह संस्था चालू की तथा हम अन्य राज्य सरकारों से भी कह रहे हैं कि वे इस प्रकार की संस्थायें चालू करें। जिसके लिये हम उन्हें अपने तरीके के अनुसार सहायता देंगे । अन्धे व्यक्तियों के प्रशिक्षण तथा उनको रोजगार दिलाने के लिये गैर सरकारी संस्थायें भी काफी संख्या में खुल रही हैं और हमने हाल में ही अहमदाबाद में एक संस्था को स्वीकृति दी है । हमने अब बड़े पैमाने पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है ताकि इन संस्थाओं को योग्य प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हो सकें ।

Shri Braj Bihari Mehrotra : Do any arrangement exist for the employment of those blind persons who possess Degree in Grammer and Ayurveda ?

श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन् : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि सरकार ने शिक्षित अन्धे व्यक्तियों को उपयुक्त धंधों में लगाने के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं। हम इसके लिये भी भरसक प्रयत्न करेंगे कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में योग दें । मेरे विचार से यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Generally the blind persons are very good singers. In view of this, will Government employ them for popularising songs meant for nation l awakening?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : इनमें से बहुत से व्यक्तियों में संगीत की प्रतिभा है संगीत में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये इनको छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । तथा बहुत से व्यक्ति स्कूलों में संगीत के अध्यापकों के रूप में काम कर रहे हैं । मुझे इस बात का निश्चित रूप से पता नहीं है कि क्या कुछ व्यक्ति प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ प्रचारक के रूप में भी काम कर रहे हैं या नहीं ।

डा० रानेन सेन : आजकल कार्यालयों तथा कारखानों में यंत्रीकरण का बोलबाला है । अतः क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है कि इस यंत्रीकरण के परिणाम-स्वरूप अन्धे व्यक्तियों को आसानी से काम पर लगाया जा सकता है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन् : जी, हां । इसीलिये तो हम विशेष काम दिलाऊ दफ्तरों में एक शिल्प शिक्षक रख रहे हैं जो कि आसपास के उद्योगों का सर्वेक्षण करके यह पता लगायेगा कि उनमें अन्धे व्यक्तियों के लिये कौन कौन से उपयुक्त स्थान हो सकते हैं । हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि अन्य काम दिलाऊ दफ्तरों में भी ऐसा ही एक शिक्षक रखा जाय जो कि सर्वेक्षण करके यह पता लगाये कि क्या उद्योग तथा अन्धे व्यक्तियों को बिना किसी हानि की संभावना के उनको इन उद्योगों में लगाया जा सकता है ।

दिल्ली के कालेजों में दाखिला

\+

*१२३७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री मुरली मनोहर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों के डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिले को अर्हतादायक परीक्षा में निश्चित प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों तक ही सीमित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्य विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिये क्या उपाय सोचे जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, हां । बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने अर्हतादायक परीक्षा में कम से कम ४० प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।

(ख) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने परीक्षा सम्बन्धी सुधार समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया है कि अवर-स्नातक कक्षाओं में स्तर को ऊंचा उठाने के लिये यह आवश्यक है कि कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को ही दाखिला मिले।

(ग) ४० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय के बी० ए० (पास) डाक पाठ्यक्रम के लिये अपने नाम दर्ज करा सकते हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey : Were the Vice-Chanceller of Delhi University and the Principals of Degree Colleges consulted while arriving at this decision?

Shri M. C. Chagla : I do not know that. But I know that this has been done on the basis of the report submitted by the Examination Reforms Committee which was appointed by the Delhi University.

Shri Vishwa Nath Pandey : Due to shortage of seats, the students do not get admission in Delhi University and Degree Colleges. Has this decision been taken with a view to limiting the number of students there?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अगले शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने पर नये कालिज खोले जायें जिस से कालिज में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को स्थान मिल सके।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने सामान्य रूप से यह नीति स्वीकार कर ली है कि विश्वविद्यालयों में स्तर ऊंचा उठाने के लिये कालिजों में योग्यता के आधार पर दाखिला दिया जाय?

श्री मु० क० चागला : सरकार की नीति यह है कि विश्वविद्यालयों पर बहुत अधिक भार होने के कारण स्तर का गिरना स्वाभाविक है जिसके लिये दो बातों का करना आवश्यक है। प्रथम तो यह कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को बहुमुखी बनाया जाये और दूसरे नये कालिज खोलने के अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिये अन्य साधन भी जुटाये जायें। एक महत्वपूर्ण चीज डाक पाठ्यक्रम है।

Shri Prakash Vir Shastri : The Vice-Chanceller of Delhi University has stated in a statement published in newspapers that he cannot assure admission for even those students who have secured more than 40 % marks. Has any estimate been made of the number of those students who have secured 40 per cent or less marks and whether more new colleges would be opened in Delhi so that they might get admission?

Shri M. C. Chagla : Those who take correspondence courses need not sick admission in any college. Students securing less than 40 per cent. marks are not required to seek admission in colleges. They can pass the examination through correspondence course. और कालिज भी खोले जा रहे हैं। मेरे विचार से अगले शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने तक ३ या ४ कालिज खोले जायेंगे। हम इस मामले में शीघ्रता से क दम उठा रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश पर पाबन्दी लगाने के साथ-साथ, क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि विद्यार्थीगण अपने किसी दोष के कारण नहीं अपितु

निचले स्तर पर शिक्षा के निम्न स्तर तथा समुचित साधनों के अभाव के कारण ही ४० प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं कर सके हैं ?

श्री मु० क० चागला : यह सच है कि किसी विद्यार्थी की योग्यता को परीक्षा के द्वारा सही रूप में नहीं आंका जा सकता । परन्तु क्या किया जाए, इस के अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है ।

श्रीमती रेणुका राय : ४० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालों के लिये वस्तुतः क्या प्रबंध किये जा रहे हैं ? डाक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, क्या सरकार शिक्षा को बहुमुखी बना रही है तथा क्या दिल्ली में पर्याप्त संख्या में पोलीटेक्निक्स स्थापित किये जा रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : हम इस समस्या को दो प्रकार से हल कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि और अधिक पोलीटेक्निक्स तथा जूनियर टेक्निकल स्कूल खोले जायें । परन्तु इस में समय लगता है । हम ऐसे माध्यमिक स्कूल भी खोल रहे हैं जिन में काम धंधा सिखाया जायेगा । परन्तु जहां तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, उन्होंने यह निश्चय किया है कि ४० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कालिज में जाने के योग्य नहीं हैं । यह एक राष्ट्रीय हानि है । अतः यही एक मार्ग है ।

डा० पं० शां० देशमुख : क्या किसी अन्य विश्वविद्यालय ने भी इस प्रकार की पाबन्दी लगाई है और यदि हां, तो कितनों ने ?

श्री मु० क० चागला : यह एक अग्रिम परियोजना के समान है । दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चालू किया गया डाक पाठ्यक्रम एक प्रारम्भिक प्रयास है और जहां तक मुझे पता लगा है, यह बहुत सफल सिद्ध हुआ है । यदि यह सफल हो जाता है, तो हम इसको अन्य विश्वविद्यालयों में भी निश्चित रूप से चालू कर देंगे ।

Shri Ram Sewak Yadav : Is the hon. Minister aware that the children of the poor are faced with difficulties in the matter of studies because of economic and social disparities in the country and the refore it is difficult for them to secure more than 40 per cent. marks. Would this decision not mean that they would be denied opportunities for further studies and those who are rich would continue to avail of these opportunities ? If so, what steps are being taken to prevent such sort of things ?

श्री मु० क० चागला : हम निर्धन वर्गों के विद्यार्थियों को, यदि वे योग्य होते हैं छात्रवृत्तियां देते हैं । यह कहना गलत है कि निर्धन होने के कारण विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिलता है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Every poor student does not get it. How many any such students have got scholarships ?

श्री भागवत झा आजाद : कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं ?

श्री मु० क० चागला : ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है । योग्यता एवम् साधन छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का विचार है ।

श्री अल्वारेस : क्या सरकार की यह नीति है कि ४० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बढ़ावा न दिया जाए और यदि हां, तो क्या वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना नहीं है ?

श्री मु० क० चागला : डाक पाठ्यक्रम से भी इन विद्यार्थियों को कालिज की शिक्षा के समान ही शिक्षा प्राप्त होगी । हम उन का खर्च बचाना चाहते हैं । हम भावी असफलताओं को नहीं होने देना चाहते । यदि आप असफल विद्यार्थियों की संख्या देखें, तो आप को पता चलेगा कि ६० प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो जाते हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : माननीय मंत्री जी ने बताया कि ४० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कालिज में दाखिला नहीं मिलेगा । यदि वे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते और न ही उन्हें कोई नौकरी मिलती है, तो फिर वे कहां जायें ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार से मैंने स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है, ४० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा । उन को डाक पाठ्यक्रमों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जायेगी ।

श्री सोनावने : माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी बताया कि ४० प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कालिज में प्रवेश पाने का अधिकार होगा । यदि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी ४० प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करते हैं, तो क्या उन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ?

श्री मु० क० चागला : माननीय मंत्री जी द्वारा लगाया गया अनुमान गलत है । यह कहना गलत है कि ४० प्रतिशत अंक प्राप्त न कर सकने वाले विद्यार्थी पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं । धनवान व्यक्तियों की अपेक्षा गरीब व्यक्ति अधिक प्रतिभाशाली होते हैं । प्रतिभा का धनवान होने से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

ह्विटले परिषद् योजना

*१२३८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संस्थाओं, संघों, मंत्रालयों/विभागों आदि के विचार जानने के लिये ह्विटले परिषद् योजना उन्हें कब परिचालित की गई थी ;

(ख) क्या इस बीच सरकार ने उनकी राय पर विचार कर लिया है तथा इसकी कार्यान्विति के लिये कुछ निर्णय किये हैं ; और

(ग) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में यह योजना कब से लागू की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) ४ अक्तूबर, १९६३ को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श और अनिवार्य विवाचन की योजना को सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजा गया था और उनसे यह प्रार्थना की गई थी कि वे इसे उन संघों और संस्थाओं को जिनसे वे संबंध रखते हों, तथा जिनके प्रतिनिधियों से परामर्श करना आवश्यक समझा जाये, परिचालित करें ।

(ख) और (ग). योजना के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के संघों तथा संस्थाओं द्वारा कुछ प्रश्न उठाये गये हैं। उन प्रश्नों पर कर्मचारियों के कुछ संगठनों के साथ बातचीत की गई है और आगे बातचीत बड़े संघों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से २९ अप्रैल, १९६४, अर्थात् आज दोपहर बाद की जायेगी। योजना को, विभिन्न कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर के शंकाओं और कठिनाइयों को दूर करने के पश्चात्, क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि माननीय मंत्री, श्री नन्दा, का अभिप्राय हड़ताल को फिजूल घोंषित करना था, न कि हड़ताल करने के अधिकार को छीनना ; यदि हां, तो सरकार, किसी भी संघ को, जो ह्विटले परिषद् योजना को स्वीकार करती है हड़ताल के अधिकार से वंचित रखने के लिये क्यों आग्रह करती है ?

श्री हाथी : सरकार ने जो मंत्रणा दी है वह यह है कि वे संघ को अनिवार्य विवाचन अथवा संयुक्त परिषदों में भाग लेना चाहती है उनको हड़तालों का त्याग कर देना चाहिये। वे संघ जो भाग लेना नहीं चाहते पृथक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उन संघों के लिये जो हड़ताल करने के अधिकार का त्याग नहीं करना चाहते, ह्विटले परिषद् से भिन्न कोई अन्य व्यवस्था की जायेगी ?

श्री हाथी : यह योजना वर्तमान योजना को भंग नहीं करती। यह तो वर्तमान योजना की अनुपूरक योजना है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वर्तमान योजना में समझौते की व्यवस्था है, तो वह जारी रहेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : वह तो ठीक है। कुछ समझौता व्यवस्थाओं को इसलिये वापस ले लिया गया था क्योंकि ह्विटले परिषद बन रही थी। कुछ रियायतों को हड़ताल के परिणामस्वरूप इसलिये वापस ले लिया गया था कि ह्विटले परिषद बन रही थी। यदि संघ ह्विटले परिषद् योजना को स्वीकार नहीं करते, तो क्या वही रियायतें उनको अब भी दी जायेंगी ?

श्री हाथी : इस योजना पर चर्चा करने के लिये आज दोपहर बाद श्रम मंत्रालय तथा गृह-कार्य मंत्रालय की बैठक हो रही है। माननीय सदस्य को भी आमंत्रित किया गया है और यह प्रश्न वहां उठाया जा सकता है।

श्री मुहम्मद इलियास : सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने ह्विटले परिषद् के इस खंड पर आपत्ति उठाई थी कि बाहर से आने वालों को चर्चा में भाग लेने नहीं दिया जायेगा, यद्यपि उन्हें संघ में भाग लेने की अनुमति होगी। क्या इस पहलू पर माननीय मंत्री ने विचार कर लिया है, वे श्रम मंत्रालय में भी थे और उनको यह भी अनुभव है कि बाहर से आने वालों का चर्चा में भाग लेने का कितना महत्व है ?

श्री हाथी : प्रश्न पर विचार कर लिया गया है। २ या ३ प्रश्न हैं जो संघ ने उठाये हैं। पहला प्रश्न तो हड़तालों के अधिकार का त्याग करने का है। दूसरा प्रश्न बाहर के व्यक्तियों का है। जहां तक बाहर के व्यक्तियों का संघ के पदधारी होने का सम्बन्ध है, यदि यह कार्मिक संघ

अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञेय होगा तो उन्हें उसमें भाग लेने की इजाजत होगी और बाहर के व्यक्तियों को संघ के पद धारण करने पर रोक नहीं होगी। परन्तु जहां तक उनके संयुक्त परिषदों में भाग लेने का सम्बन्ध है, सरकार का इस समय यह विचार है कि यह अच्छा होगा यदि सरकारी कर्मचारी स्वयं आयें और चर्चा में भाग लें क्योंकि वे लोग वास्तव में जानते हैं कि कठिनाइयां कहां पर हैं।

श्री रंगा : क्या इसे केवल विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित रखा जायेगा अथवा क्या सभी आयुध कारखानों तथा सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे मजदूरों तथा कर्मचारियों तक इसके विस्तार करने की कोई योजना है जिससे कि हाल ही में भोपाल में जो कुछ हुआ है तथा अन्य कठिनाइयां जो वे रूरकेला में अनुभव कर रहे हैं जैसे कि "धीरे-धीरे काम करना" और उन सभी बातों को रोका जा सके ?

श्री हाथी : उस पर भी विचार किया जा सकता है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : उन सघों तथा संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन्होंने ह्विटले परिषद् योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है तथा उनके क्या नाम हैं जिन्होने इसका विरोध किया है ?

श्री हाथी : जैसाकि मैंने बताया, तक़रीबन सभी संघों की एक या अन्य विभिन्न पहलुओं पर अपनी-अपनी रायें हैं। कुछ संघों ने बाहरी व्यक्तियों पर आपत्ति उठाई है।

एक माननीय सदस्य : उनके क्या नाम हैं ?

श्री हाथी : अनेक संघ हैं और मैं सब के नाम नहीं बता सकता। परन्तु, उदाहरणार्थ, भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ ने कहा है कि वह हड़ताल के अधिकार का त्याग करने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि यह विश्व भर में कार्मिक संघ का मान्यता प्राप्त अधिकार है। मेरे विचार में विभिन्न संघों ने विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं। परन्तु आज दोपहर बाद हम सभी ३२ संघों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं ।

श्री प्रिय गुप्त : क्या इस स्तर पर इस संविदा को बनाने से औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्ध और उसमें अधिकांश सरकारी कर्मचारियों, जिनमें १२ लाख रेलवे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिनकी संख्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या के आधे से भी अधिक है और ए० आई० आर० एफ० भी जिसके साथ सम्बद्ध है, के लिये परिकल्पित संरक्षण समाप्त कर दिये जायेंगे और क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के आधीन परिकल्पित अधिकारों और विशेषाधिकारों का त्याग जो कि इस संविदा को बना कर बलपूर्वक किया जायेगा इस संविदा अधिनियम के विरुद्ध नहीं है और इसलिये अवैध नहीं है और क्या इस करार से हम अवैध .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ; हम उन्हें कानूनी प्रस्ताव पर अपनी राय देने के लिये नहीं कह सकते ।

श्री प्रिय गुप्त : परन्तु वह दूसरी बात का उत्तर दे सकते हैं। क्या उन्हें स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जायेगा, और यदि वे उसको स्वीकार नहीं करते तो उनके पास क्या विकल्प रह जाता है ?

श्री हाथी : सरकार किसी भी संघ को हड़ताल के अधिकार का त्याग करने के लिये बाध्य नहीं करेगी। यह बाध्यता का प्रश्न नहीं है। हम तो वास्तव में सहयोग और सद्भावना का ऐसा तरीका लाना चाहते हैं जिसमें कि बिना हड़ताल किये सरकारी कर्मचारियों के कष्टों को निवारण किया जा सके। हम एक बहुत ही सहयोगपूर्ण और रचनात्मक मार्ग के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और हमें आशा है कि मजदूरों के प्रतिनिधि भी विषय में इसी प्रकार कदम उठायेंगे।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि बाहरी व्यक्तियों को संघ में रहने की अनुमति है, परन्तु समझौते के मामले में बाहरी व्यक्तियों को परिषद् में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी क्या सरकार की इस नीति का मजदूरों और कार्मिक संघों के अपने प्रतिनिधि चुनने पर असर पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार मजदूरों को अपनी कार्मिक संघों के अधिकारों के प्रयोग से वंचित रखना चाहती है ?

श्री हाथी : सरकार मजदूरों को अपने कार्मिक संघ के अधिकारों के प्रयोग से वंचित नहीं रखना चाहती। सरकार जो कुछ करना चाहती है वह यह है कि असैनिक कर्मचारियों के लिये, जहां तक तीन प्रश्नों, अर्थात् अवकाश, भत्ते, कार्य के घंटे आदि का सम्बन्ध है, ये परिषदें काम करेंगी। अन्य बातों के लिये जैसे कि मैंने बताया योजना वर्तमान व्यवस्था को भंग नहीं करती चाहे वह कुछ भी हो ; यह योजना तो वर्तमान व्यवस्था के लिये अनुपूरक योजना है।

विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श विधान

\+

*१२३९. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श विधान तैयार करने का काम इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या आदर्श विधान पर नियुक्त समिति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ; यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

श्री मु० क० चागला : स्थिति यह है। समिति की १४ बैठकें हुई हैं और अब ३ सदस्यों की एक प्रारूप समिति नियुक्त की गई है। आशा है कि अन्तिम प्रतिवेदन मई के अन्त तक आ जायेगा।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या इस विधान से विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त परिवर्तन होगा ; यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

श्री मु० क० चागला : जब तक मैं प्रतिवेदन को देख नहीं लेता, मैं यह उत्तर नहीं दे सकता कि वह क्या सिफारिश देगी।

श्री धुलेश्वर मीना : विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श विधान तैयार करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई है उसका गठन क्या है ? इस समिति के कृत्य क्या हैं ?

श्री मु० क० चागला : हमने अभी प्रतिवेदन देखना है और उस पर विचार करना है। मैं नहीं जानता कि सिफारिशें क्या हैं। हमारा उद्देश्य प्रशासन में सुधार करने का है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह आदर्श विधान विश्वविद्यालयों के लिये अनिवार्य होगा अथवा इसका काम केवल सलाह देना होगा ? यदि इसका काम सलाह देना होगा, तो क्या इसका प्रभाव भुतलक्षी होगा अथवा यह केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों पर लागू होगा जो भविष्य में बनेंगे ?

श्री मु० क० चागला : इस समिति को नियुक्त करने तथा प्रतिवेदन प्राप्त करने के दो उद्देश्य हैं। पहला तो यह कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधान में आवश्यक संशोधन करने के लिये इससे सहायता मिलेगी। यह हमारा कार्य है। जहां तक राज्यों के विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, वह राज्य का विषय है और यदि हमारे पास आदर्श विधान है, तो मैं आशा करता हूं कि राज्य विधान मण्डल भी यह अनुभव करेंगे कि उन्हें हमारे विधान की नकल करनी चाहिये। क्या इसका भुतलक्षी प्रभाव होना चाहिये अथवा नहीं यह बात प्रस्तावों पर निर्भर होगी।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र

*१२४०. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी **शिक्षक** प्रशिक्षण केन्द्रों को लागू करने की दिशा में क्या कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी योजना तथा कार्यक्रम को अन्तिम रूप दियाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मूख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). चार प्रादेशिक तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित करने के प्रस्ताव को योजना आयोग ने अनुमोदित कर दिया है और विस्तृत योजनाएं, जिनमें लागत के अनुमान, संस्थाओं के स्थान आदि शामिल हैं, बनाई जा रही हैं।

श्री राम चन्द्र उलाका : प्रशिक्षित तकनीकी अध्यापकों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता का विस्तार करना चाहती है और यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां। तकनीकी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं का विस्तार करने की एक बड़ी परियोजना हमारे दिमाग में है।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने राज्य में इन प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थापित करने में अपनी कठिनाइयां प्रकट की हैं और यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मु० क० चागला : हमारे पास सभी राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये एक योजना है। हमने ७५ प्रतिशत अनुदान देने का वायदा किया है और अभी तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र केवल दो राज्यों ने इस पेशकश का फायदा उठाया है ।

श्री धुलेश्वर मीना : तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने नये प्रशिक्षण केन्द्र पूरे हो जाने की आशा है और उनका ब्यौरा क्या है ?

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं जानता कि क्या वे तृतीय योजना के अन्त तक पूरे हो जायेंगे। तृतीय योजना का अधिक समय नहीं रह गया है। हमारे पास चार प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये एक योजना है और हमारे पास राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये भी एक योजना है। हम इस परियोजना को यथा संभव शीघ्र क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री इकबाल सिंह : क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से, पंजाब में ऐसा एक प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने के लिये, प्रार्थना की है ?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं। जहां तक मैं जानता हूं केवल दो राज्यों ने इस योजना का लाभ उठाया है ।

श्री भागवत झा आजाद : प्रस्तावित ४ प्रादेशिक केन्द्रों की स्थापना से, जिनका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया, देश की आवश्यकता कहां तक पूरी होगी ? इससे कितने प्रतिशत देश की तकनीकी शिक्षा की मांग पूरी होगी ?

श्री मु० क० चागला: यह देश की आवश्यकता से बहुत ही कम होगी। परन्तु कम से कम इन चार प्रादेशिक केन्द्रों से प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। वास्तव में समस्या का समाधान केवल राज्यों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आरम्भ करने से ही हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, केन्द्र तो प्रोत्साहन देने के लिये कुछ आदर्श संस्थायें ही स्थापित कर सकता है। परन्तु अध्यापकों की मांग बहुत बड़ी है ।

श्री बासप्पा : इन प्रशिक्षण केन्द्रों में दाखिले के लिये अपेक्षित अर्हता क्या है ?

श्री मु० क० चागला : केन्द्रीय संस्थाओं के सम्बन्ध में जहां तक मैं जानता हूं, योजना यह है कि हम स्नातक अध्ययनों के लिये १०० और डिप्लोमा कोर्स के लिये २५ अभ्यर्थी दाखिल करते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, उनका स्नातक होना आवश्यक है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : देश की मांगों को पूरा करने के लिये क्या सरकार तकनीकी प्रशिक्षण के लिये प्रादेशिक तकनीकी कालेजों के विस्तार से पूर्व एक अल्पकालिक कोर्स चालू करना चाहती है ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां। प्रारम्भिक विचार अल्पकालिक कोर्स चालू करने का है। अवधि १८ मास के कार्यक्रम की है, जिसमें १२ महीने व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये और ६ महीने शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये हैं। डिपलोमाधारियों के लिये कार्यक्रम २४ महीने का है, जिसमें

१२ महीने व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये हैं । यदि कोई व्यक्ति स्नातक है तो उसके लिये यह अवधि डिपलोमाधारी की तुलना में कम है ।

श्री बड़े : माननीय मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में एक तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र चालू किया गया है। क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश को कुछ सहायता दे रही है अथवा मध्य प्रदेश अपना निजी पैसा व्यय कर रहा है ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां । केन्द्र ७५ प्रतिशत सहायता दे रहा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री इससे अवगत हैं कि इन केन्द्रों में दाखला लेने के लिये बहुत ही योग्य व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां पर उनका भविष्य और वेतन अच्छे नहीं हैं ?

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह सही नहीं है । इस कालिज में दाखले के लिये हम योग्य विद्यार्थियों को विशेष वजीफा देते हैं, और उनके लिये रोजगार का आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास अध्यापकों की भारी कमी है इसलिये रोजगार न मिलने में कोई कठिनाई नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या १२४४ के बारे में

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, Sir, I would like to request that Question No. 1244 be taken up as it is a very important question.

अध्यक्ष महोदय : मुझ से प्रश्न संख्या १२४४ को लेने के बारे में कहा जा रहा है । मैं ऐसा केवल तब ही कर सकता हूं यदि वे माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न संख्या १२४१, १२४२ और १२४३ की सूचनाएं दी हैं, उन प्रश्नों को पूछने का अधिकार छोड़ दें । क्या वे ऐसा करने के लिय तैयार हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : तब मुझे खेद है कि मैं प्रश्न संख्या १२४४ को नहीं ले सकता । अब प्रश्न संख्या १२४१ ।

गन्धक का तेजाब तैयार करने का संयंत्र

\+

*१२४१. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री रा० बरुवा

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमझोर (शाहबाद) के निकट पाये गये पाइराइट के नये निक्षेपों के विदहन के लिये पाइराइट्स एण्ड केमिकल्ल डेवलपमेंट कम्पनी के द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या फिनलैंड के प्राधिकारियों ने इस कार्य में भारत की सहायता करना स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या गन्धक निकालने तथा गन्धक का तेजाब तैयार करने के संयंत्रों के संचालन की जर्मन प्रक्रिया का अध्ययन कर लिया गया है; और

(घ) भारत में किस प्रणाली को लागू करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लि० ने, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, अमझोर के पाइराइट अयस्क से सीधे ही गन्धक के तेजाब का उत्पादन करने के लिये सिंडी में ४०० टन प्रति दिन की क्षमता वाले एक संयंत्र को स्थापित करने की योजना तैयार की है। कम्पनी इस अयस्क से कच्ची गंधक निकालने की उपयुक्त प्रक्रिया की भी खोज कर रही है।

(ख) पाइराइट से कच्ची गंधक निकालने की फिनलैंड की औटोकुम्पु प्रक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है और यदि भारतीय अयस्क से गन्धक निकालने के लिये इस प्रक्रिया को अपनाना उपयुक्त समझा गया तो फिनलैंड की इस क्षेत्र में जानकारी को उपयोग करने की तथा मेटेक्स कारपोरेशन हेलसिन्की द्वारा संयंत्र तथा उपकरण खरीदने के लिये जो ऋण देने का प्रस्ताव किया गया था उस ऋण के एक भाग का उपयोग करने की सम्भावना पर विचार किया जायेगा।

(ग) पाइराइट अयस्क से वाणिज्यिक स्तर पर गन्धक निकालने के लिये कोई जर्मन प्रक्रिया ज्ञात नहीं है। पाइराइट अयस्क गन्धक का तेजाब निकालने की प्रक्रिया मानकीकृत है।

(घ) जैसा कि बताया जा चुका है, पाइराइट अयस्क से गन्धक का तेजाब निकालने की प्रक्रिया मानकीकृत है और संयंत्र का चयन प्रतियोगात्मक आधार पर समस्त विश्व से प्राप्त हुए टेन्डरों में से किया जायेगा। जहां तक पाइराइट अयस्क से कच्ची गन्धक निकालने का सम्बन्ध है, यदि अग्रिम संयंत्र परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के पश्चात् फिनलैंड की प्रक्रिया को उपयुक्त पाया गया तो इसके लिये वही अपनाई जायेगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक भारत में ऐसे स्वदेशी साधन नहीं हैं जिन से गन्धक के तेजाब के मूल तत्व बनते हैं, क्या सरकार इस प्रश्न को पूर्ववर्तिता के आधार पर ले रही है जिससे कि इसका यहां पर उत्पादन करने के लिये सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सके ?

श्री अलगेशन : जी,हां; ऐसा ही विचार है। हम ४०० टन प्रति दिन की क्षमता वाला गन्धक का तेजाब बनाने का एक संयंत्र स्थापित करने जा रहे हैं। अमझोर में दो से तीन लाख टन तक पाइराइट अयस्क निकालने का भी हमारा प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभा-पटल पर रखे जायें।

तारांकित प्रश्न संख्या १२४४ के बारे में

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Question No. 1244 is very important.

Mr. Speaker : I do not deny it. But such issues have arisen off and on. If a request is made and the Minister is willing to answer the question, the matter is quite different, otherwise it is not in my power.

Shri Kachhavaiya : The Minister is willing to reply.

Mr. Speaker : That you must be knowing. I will only know when I m told.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

नूनमाटी तेलशोधक कारखाना

*१२३२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री नूनमाटी तेलशोधक कारखाने से गैस के संभरण के बारे में २० नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना प्रतिवेदन को इस बीच तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमन्। जून, १९६४ तक इसके तैयार हो जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया में पेट्रो-केमिकल परियोजना

*१२४२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री प० चं० बर्मन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हल्दिया में पेट्रो-केमिकल परियोजना स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की रूपरेखा तथा उत्पादन ढांचा बना लिया गया है;

(ग) वहां पर कौन से विशिष्ट रसायन का उत्पादन हो सकता है; और

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा इसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). इन ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

शिक्षा को बहुविध बनाना[1]

*१२४३. श्री यशपाल सिंह :
श्रीप्र० चं० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा को बहुविध बनाने का विचार है जिससे विद्यार्थी तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और योग्यता अथवा अभिरुचि न होने पर भी कालिजों में भीड़ भाड़ न करें;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना को अन्तिम रूप देने तथा लागू करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां। वास्तव में यह मुदालियर आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों में से एक है और इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया था।

(ख) शिक्षा को बहुविध बनाने की इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा देने के अतिरिक्त उनको व्यावसायिक तथा व्यवहारिक शिक्षा की भी जानकारी हो जाये।

(ग) जूनियर प्रविधिक स्कूलों के अतिरिक्त, २३०० से अधिक बहुप्रयोजनीय स्कूल पहले ही से चल रहे हैं और संसाधनों के उपलब्ध होने पर और ऐसी शिक्षा संस्थाओं के खोले जाने की संभावना है।

Kashmir Conspiracy Case

*1244. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri S. L. Verma :
Shri Yashpal Singh :
Shri Utiya :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kashmir Conspiracy Case has been withdrawn ;

(b) the expenditure incurred so far on this trial by the Central and the State Governments respectively ; and

(c) the head of account to which this amount is proposed to be debited ?

The Minister for Home Affairs (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India have incurred an expenditure of Rs. 31,53,798 in connection with this case upto the end of March, 1964. I have no information about the expenditure incurred by the State Government.

[1]Diversification of Education

(c) The expenditure has been debited to the head "19-General Administration-A. 4-Other Charges" of the Ministry of Home Affairs.

जर्मन अध्ययन की भारतीय संस्था, [1]पूना

*१२४५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन अध्ययन की भारतीय संस्था को किन शर्तों पर "डेकन कालिज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट" पूना में काम करने की अनुमति दी गई है;

(ख) संस्था के कार्यवहन की दिशा में भारत सरकार ने यदि कोई सहायता दी है तो किस प्रकार की; और

(ग) इस संस्था के तत्वावधान में संघानीय जर्मन गणराज्य (फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी) में भारतीय विद्यार्थियों के अग्रेतर अध्ययन का प्रायोजन[2] करने में, उसके लिये विद्यार्थियों का चुनाव करने में, अथवा उसके लिये वित्त की व्यवस्था करने में भारत सरकार यदि किसी प्रकार का नियंत्रण अथवा देख-रेख रखती है तो क्या ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—२८०५/६४**।]

(ख) और (ग). कोई नहीं।

जाली पाठ्य पुस्तकें

*१२४६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय जाली पाठ्य पुस्तक **निरोध समिति**[3] **ने अपना** प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; **और**

(ग) जाली पाठ्य पुस्तकों की बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

---

[1] Indian Institute of German Studies, Poona.

[2] Sposoring.

[3] All India Anti-Spurious Text-books Committee.

मद्रास तथा हल्दिया तेल शोधक कारखाने

*१२४७. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रामपुरे :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री थेनगौंडर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास तथा हल्दिया में तेलशोधक कारखानों की स्थापना के लिए विदेशी तेल समवायों से प्राप्त सहयोग के प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दल के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उनके निदेश पद क्या हैं ; और

(ग) क्या कार्यकारी दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्यकारी दल में पेट्रोलियम संस्था, इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड और वित्त मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधिकारी हैं । जो विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनका यह कार्यकारी दल व्यापक अध्ययन करेगा और एक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें ऐसे अनेक मामले होंगे जिन पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन

*१२४८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के किसी नये कार्यक्रम पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उन को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या राजस्थान में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विचार है क्योंकि अधिकांश जिप्सम वहां पर मिलता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). उर्वरकों के उत्पादन के लिये चतुर्थ योजना काल में अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में जो अनेक प्रस्ताव आये हैं वे अभी तक विचाराधीन हैं और इस समय उन्हें अनन्तिम माना जा सकता है ।

(ग) राजस्थान में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का जिसमें जिप्सम का उपयोग किया जायेगा, इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अन्य कुछ कच्चे माल से उर्वरक तैयार करने के लिये राजस्थान में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

दुर्गापुर उर्वरक परियोजना

*१२४९. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री १२ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या **५०** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित दुर्गापुर उर्वरक परियोजना के बारे में भारत के उर्वरक निगम के प्रतिवेदन पर इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया से पाइप-लाइन

*१२५०. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री व० कु० दास :
श्री प० चं० बर्मन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० एन० आई० की मैसर्स स्नाम साइपेम[1] के साथ हल्दिया से पाइप लाइनों के निर्माण के लिये कोई ठेका हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ग) क्या जमीन के लिये मुआवजा दे दिया गया है ; और

(घ) काम पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) पेट्रोलियम पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम के अधीन राज्य के सम्बन्धित खजानों में मुआवजे के लिये ४ लाख रुपया जमा कर दिया गया है और मुआवजे को मामलों के पूरे होने पर सक्षम अधिकारियों द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है।

(घ) आशा है कि हल्दिया से बरौनी तक की पाइपलाइन १९६५ के प्रारम्भ तक और बरौनी से कानपुर तक की पाइपलाइन १९६५ के मध्य तक पूरी हो जायेगी।

[1]Messrs. Snam-Saipem.

विश्वविद्यालय शिक्षा

*१२५१. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि भारत के राष्ट्रपति सभी विश्वविद्यालयों के 'विज़िटर' होने चाहियें तथा उन को ही विश्वविद्यालय अधिनियमों का अनुसमर्थन करना चाहिये तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये धन केन्द्रीय सरकार को देना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है।

विवरण

भारत के राष्ट्रपति चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अर्थात् अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और विश्व-भारती के 'विज़िटर' हैं । जहां तक राज्य विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, आयोग की यह सिफारिश, कि विश्वविद्यालय अधिनियमों को संशोधित किया जाये जिससे कि राष्ट्रपति उन विश्वविद्यालयों के भी 'विज़िटर' हो जायें, सभी राज्य सरकारों को दिसम्बर, १९५४ में बता दी गई थी ।

२. जहां तक इस सिफारिश का सम्बन्ध है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार के द्वारा धन दिया जाना चाहिये, तो भारत सरकार ने इसके लिये संसद् के एक अधिनियम के अधीन पहिले से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित कर रखा है। केन्द्रीय सरकार बड़े बड़े एक मुश्त अनुदान इस आयोग के अधिकार में दे देती है और यह आयोग राज्य विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनकी विकास योजनाओं और संधारण के लिये अनुदान देता है।

व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश

२६०४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी मुदालियर आयोग ने यह सिफारिश की थी कि उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश खोल दिया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था और वह सभी सम्बन्धित विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षण संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं ; और

(ग) क्या आयोग की बहु-प्रयोजनीय स्कूलों और उनसे उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों संबधी सिफारिशें भी क्रियान्वित की जा रही हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ; उन व्यावसायिक कालेजों के अतिरिक्त जिनमें कोई दूसरी अर्ह्य परीक्षा (जैसे कि इण्टर विज्ञान) निर्धारित है अन्य में यह सिफारिश क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) जी, हां ।

Hindi University in South

2605. Shri Veerappa : Will the Minister of **Education** be pleased to State :

(a) the stage at which the proposal to set up a Hindi University in South rests at present and the location of the proposed university and when it would be set up ; and

(b) whether it has been stated by the Deputy Minister of Education that the proposal has been abandoned in view of the anti-Hindi attitude of the South ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) There is no proposal to set up a Hindi University in South.

(b) Does not arise.

"कैपसूल कवर" का निर्माण करने वाले कारखाने

२६०६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने कारखाने जिलेटिन के 'कैपसूल कवर' का निर्माण कर रहे हैं ;

(ख) क्या ये कारखाने सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में हमारा देश कब आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस समय देश में दो बड़े पैमाने के कारखाने जिलेटिन से 'कैपसूल कवर' का निर्माण कर रहे हैं—एक कारखाना कड़ी जिलेटिन से दो हिस्सों वाले कैपसूलों का निर्माण कर रहा है और दूसरा नरम जिलेटिन से पूरे साबुत कैपसूलों का निर्माण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, छोटे पैमाने के बहुत से कारखाने भी इनका निर्माण कर रहे हैं।

(ख) ये कारखाने ० आकार के कड़ी जिलेटिन वाले कैपसूलों नरम जिलेटिन वाले साबुत कैपसूलों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ग) आशा है कि १९६४ के अन्त तक दो और बड़े पैमाने के कारखाने इन का उत्पादन करने लगेंगे और तब सभी आकारों के कड़ी जिलेटिन वाले कैपसूलों के मामले में हमारा देश आत्म-निर्भर हो जायेगा।

Sub-Standard Educational Publications

2607. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the fact that the number of such school and college text-books is constantly increasing as contain misleading facts and are replete with printing errors ;

(b) whether such publications have extremely harmful effect on the standard of education ; and

(c) if so, the action taken to impose a check on such publications ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). There have been some complaints about factual inaccuracies and printing errors in some school text-books, In all such cases, the State Governments, who have the final authority to prescri e text-books and most of whom have nationalised the production of text-books, have taken necessary action to see that the standard of text-books is improved continuou sly and that objectionable books are removed from the approved list.

Memorial to Lokmanya Tilak

2608. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian cultural centre is going to be established in London as a fitting memorial to the memory of the late Lokmanya Tilak; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The matte is still under consideration.

Central Hindi Directorate

2609. Dr. L. M. Singhvi: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the objectives of the Central Hindi Directorate;

(b) the main work done by the Directorate during the last three years; and

(c) the programme chalked out for the coming years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). A statement is attached. **[Placed in the Library. Please see No. L.T. 2806/64.]**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लेखा याचिकायें[1]

२६१०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६३ से ले कर जनवरी १९६४ तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितनी लेख याचिकायें दायर की गईं और उन में से कितनों के मामले में निर्णय दे दिया गया है और कितनी अभी तक लम्बित हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी

२६११. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ के शिक्षा-वर्ष के दौरान ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में कुल कितने पूर्ण-कालिक भारतीय विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे ; और

(ख) इसी अवधि में उनमें से आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी ?

[1] Writ Petitions.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, १ जनवरी, १९६३ को ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की कुल संख्या ३,२६८ थी।

(ख) उन में से आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: ६६ और ७३ थी।

दिल्ली में नगरीय भूमि का विकास

२६१२. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वृहद दिल्ली योजना में १९८१ तक १,१०,००० एकड़ नगरीय भूमि का विकास करने की व्यवस्था की गई है ;

(ख) मार्च, १९६४ के अन्त तक कितने प्लाटों का विकास किया गया है;

(ग) प्लाटों का विकास करने और मकानों का निर्माण करने के क्षेत्र में सहकारी समितियों ने कितना कार्य किया है ; और

(घ) मकान बनाने के लिये ऋण देकर और मकान बनाने की सामग्री उपलब्ध करा कर मकान बनाने के कार्य में सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दिल्ली की वृहद योजना में १९८१ तक १,१०,५०० एकड़ सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की पूर्वकल्पना की गई है जबकि १९५८-५९ में नगरीय क्षेत्र कुल ४२,७०० एकड़ तक ही सीमित था।

(ख) दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास तथा विक्रय की योजना के अधीन (जिसका ब्यौरा श्री पी० जी० देब द्वारा नियम १९७ के अन्तर्गत दी गई ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर के सम्बन्ध में २३ मार्च, १९६१ को सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया हुआ है) दिल्ली विकास प्राधिकार ने ३१ मार्च, १९६४ तक २११२ नैवासिक प्लाटों तथा २४६ औद्योगिक प्लाटों को विकसित किया है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित योजना के अधीन, अभी तक १०१६ एकड़ अविकसित भूमि मकान निर्माण सहकारी समितियों को आवंटित कर दी गई है तथा उसका कब्जा उन्हें दे दिया गया, जो कि उसे विकसित करेंगी तथा उस पर मकान बनवायेंगी। विकास कार्य को पूरा करने के लिये उन्हें तीन वर्ष का समय दिया गया है और उस भूमि पर मकान बनाने के लिये दो वर्ष का और भी समय दिया गया है।

(घ) दिल्ली में मकानों के निर्माण के लिये निम्न आय तथा मध्य आय वर्ग आवास योजनाओं के अधीन ऋण दिये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के अन्त तक, निम्न आय वर्ग आवास योजना के अधीन ३ करोड़ ७ लाख १० हजार रुपये के ऋण और मध्य आय वर्ग आवास योजना के अधीन १ करोड़ ३१ लाख ४९ हजार रुपये के ऋण मंजूर किये गये हैं।

असैनिक सम्भरण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, उन व्यक्तियों की जिनके नक्शे सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकार द्वारा मंजूर किये जा चुके हैं मकान बनाने की सामग्री, जैसे कि ईंटें, इस्पात और सीमेन्ट, के लिये परमिटें जारी करता है।

आनरेरी मजिस्ट्रेट

२६१३. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितने आनरेरी मजिस्ट्रेट कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) इन मजिस्ट्रेटों को किस योग्यता और शर्तों के आधार पर नियुक्त किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) इकतीस ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८०७/६४**] ।

लड़कियों की शिक्षा

२६१४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लड़कियों की शिक्षा के पिछड़ेपन के कारणों की जांच करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा कब प्रतिवेदन दिये जाने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है ; परन्तु महिला शिक्षा राष्ट्रीय परिषद् ने लड़कियों की शिक्षा के लिये, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों का समर्थन प्राप्त न होने के कारणों की जांच करने और सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ।

(ख) शीघ्र ही ।

पोलैंड के साथ वैज्ञानिक तथा प्रविधिक सहयोग

२६१५. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पोलैंड के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रविधिक सहयोग सम्बन्धी क्या कार्यक्रम १९६४-६५ के लिये निर्धारित किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : १९६४ से १९६६ तक के स्वीकृत कार्यक्रम में ५२ मद हैं और इसमें कला और संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उच्चतर शिक्षा, रेडियो और चलचित्र, लोक स्वास्थ्य और छात्रवृत्तियों के क्षेत्र में आदान-प्रदान तथा खनन कार्य में पोलैंड में भारतीय राष्ट्रजनों के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है ।

हिन्द महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय अभियान

२६१६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय अभियान का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) इस अभियान में किन-किन देशों ने भाग लिया था और प्रत्येक देश के कितने-कितने जहाज थे ; और

(ग) इस खोज कार्य से किस प्रकार की उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आस्ट्रेलिया--२, भारत--४, इंडोनेशिया--१; जापान--३; पुर्तगाल--१; पाकिस्तान--१; दक्षिण अफ्रीका--२; इंगलैंड--२; अमरीका--१३; रूस--१; पश्चिम जर्मनी--१; अन्य भाग लेने वाले देशों अर्थात् लंका, इजराईल, नारवे, थाईलैंड और जंजीबार ने अपने कोई जहाज नहीं भेजे हैं।

(ग) जो सामग्री तथा जानकारी एकत्रित की गई है उसकी विभिन्न केन्द्रों पर जांच की जा रही है और उसके बारे में इतनी शीघ्र कुछ नहीं बताया जा सकता।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के लिए वार्षिकी

२६१७. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री १९ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों के लिये वार्षिकी अथवा बीमा की व्यवस्था करने वाली योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) वह कब क्रियान्वित की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं। तथापि, अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं और वह इश समय सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बरौनी और कोयाली तेलशोधक कारखाने

२६१८. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री और १२ फरवरी के तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी और कोयाली तेलशोधक कारखानों की क्षमताओं को २० लाख टन से बढ़ाकर ३० लाख करने के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने के बारे में क्या नवीनतम प्रगति हुई है ; और

(ख) उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) ये परियोजना प्रतिवेदन रूस से मार्च, १९६४ में प्राप्त हुए थे।

(ख) एक वायुमण्डलीय यूनिट लगाकर और कई भाण्डार टंकियां बनाकर प्रत्येक तेलशोधक कारखाने की क्षमता में १० लाख टन की वृद्धि की जानी है। आंसवन यूनिट मे तथा विद्युत् पद्धति में भी आवश्यक परिवनर्त किये जायेंगे।

संश्लिष्ठ रबड़ का मूल्य

२६१९. **श्री कोल्ला वेंकया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संश्लिष्ट रबड़ के ऊंचे मूल्य के बारे में भारतीय रबड़ उद्योग संघ, बम्बई ने सरकार को एक ज्ञापन-पत्र दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) (क) : जी, हां ।

(ख) निर्माणकर्ताओं को यह कहा गया था कि वह अपने उत्पाद का विक्रय मूल्य कम कर दें और उन्होंने ऐसा कर दिया है ।

विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर

२६२०. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री २६ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर का अध्ययन करने के लिये स्थापित की गई समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में एक संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु

२६२१. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पटेल नगर पुलिस चौकी, नई दिल्ली जिन परिस्थितियों में एक संदिग्ध व्यक्ति की पुलिस द्वारा पूछताछ करते समय मृत्यु हो गई थी उनकी न्यायिक जांच के सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा, जो कि इस मामले की जांच कर रहा है, साक्ष्य लेने का कार्य पूरा कर लिया गया है । उसे अपने निष्कर्ष अभी देने हैं ।

Banaras Hindu University

2622. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is considerable unrest in Banaras Hindu University on account of upgrading scheme of the University Grants Commission; and

(b) if so, the action being taken by Government to put an end to this unrest ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

न्याय का प्रशासन

२६२३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "न्याय के प्रशासन में विलम्ब से बचने के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की विधियों के अभिनवीकरण" के बारे में दिल्ली में हाल ही में हुई गोष्ठी में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से भाग लिया था ;

(ग) क्या गोष्ठी की कार्यवाहियों और उसके निष्कर्षों का अध्ययन किया गया है और उन पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किये गये अध्ययन और विचार का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सरकार ने इस गोष्ठी में औपचारिक अथवा अन्य किसी रूप में भाग नहीं लिया । तथापि, वकील परिषद से, जिसने कि इस गोष्ठी को आयोजित किया था, निमंत्रण प्राप्त होने पर विधि मंत्री ने गोष्ठी का उद्घाटन किया था ।

(ग) ये अभी तक सरकार को नहीं भेजे गये हैं :

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली नगर पालिका

२६२४. श्री यशपाल सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के व्यापारी संघ ने एक ज्ञापन-पत्र दिया है जिसमें उन्होंने नई दिल्ली नगर पालिका में अपने प्रतिनिधित्व के रखे जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां :

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका में पूर्ण-कालिक प्रैसीडेन्ट के अतिरिक्त ८ सदस्य हैं जिनमें से चार पदेन सदस्य हैं और चार गैर-सरकारी सदस्य हैं जो कि नई दिल्ली की आम जनता में से नाम निर्देशित हैं। नई दिल्ली के लोगों के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन किये जाते हैं। ऐसे किसी संघ अथवा संगठन को पालिका में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता :

गोदावरी-कृष्णा डेल्टा में तेल की खोज

२६२५. **श्रीमती यशोदा रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी-कृष्ण डेल्टा क्षेत्र के लगभग ५००० वर्ग मील क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जो तेल की खोज का कार्य किया जा रहा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या १९६४-६५ के क्षेत्रीय कार्य काल में उस क्षेत्र में दो भूकम्पीय भू-भौतिकीय दल भेजने का कोई प्रस्ताव है और क्या अब तक किये गये कार्य के आधार पर इसके साथ ही साथ १२०० मीटर तक संरचनात्मक छिद्रण भी प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) कुल ४२०० वर्ग मील क्षेत्र में भूतत्वीय् मानचित्रण और गुरुत्व तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण हो गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

उदयपुर का विस्तार-पुस्तकालय

२६२६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गेहूं ऋण विनिमय कार्यक्रम (पी० एल० ४८०) के अधीन उपलब्ध धनराशि का उपयोग करके उदयपुर स्थित विस्तार-पुस्तकालय को अन्य किसी स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वह किस स्थान पर ले जाया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

लेखिका लेखाचित्रीय कला

२६२७. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवें अखिल भारतीय मुद्रक सम्मेलन में सरकार से यह आग्रह किया है कि हमारी एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला में तब तक के लिये लेखा चित्रीय अनुभाग खोल दिया जाये जब तक लेखाचित्रीय कला की एक केन्द्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित न हो ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) मुद्रक सम्मेलन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीकी तथा ब्रिटिश पाठ्यक्रम पुस्तकों का प्रकाशन

२६२८. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३–६४ में अमरीकी पाठ्य पुस्तकों (पी०एल० ४८० निधियों की सहायता के साथ) तथा ब्रिटिश प्रामाणिक पुस्तकों के कम दामों वाले प्रकाशनों के कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी तथा कौनसी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क० चागला) : १९६३–६४ में प्रामाणिक अमरीकी शैक्षणिक पुस्तको के कम दाम वाले प्रकाशनों की योजना तथा प्रामाणिक ब्रिटिश शैक्षणिक पुस्तकों के कम दाम वाले प्रकाशनों की योजना के अन्तर्गत क्रमशः ६४ और ३६ पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं जो मुख्यतः विश्वविद्यालयों और कालेजों के विद्यार्थियों के लिये हैं । उनका विषयवार ब्योरा इस प्रकार है :

अमरीकी पुस्तकें—६४

प्रशासन	६
जीव शास्त्र	१३
रसायन शास्त्र	७
मनोविज्ञान	२
इंजीनियरी	१४
दर्शन शास्त्र	१
इतिहास	१
भारत विद्या	१
भौतिक शास्त्र	३
शिक्षा	३
राजनीति शास्त्र	३
समाज विज्ञान	३
गणित	३
अर्थ शास्त्र	४

[1]Graphic Arts.

ब्रिटिश पुस्तकें—३६

रसायन शास्त्र	१
रासायनिक प्रौद्योगिकी	१
सामाजिक मनोविज्ञान	१
इंजीनियरी .	२
पशु चिकित्सा विज्ञान .	२
इतिहास	२
कृषि .	३
व्यापार प्रशासन	३
विधि	३
अर्थशास्त्र .	४
भौतिक शास्त्र	७
गणित	७

दिल्ली के विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतन

२६२९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन को वर्गोन्नत करने का प्रश्न विचाराधीन है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सरकार को इसके बारे में कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् ने २-४-६४ की अपनी बैठक में फैसला किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रोफैसरों का वेतनमान १०००—१५०० से १०००—१८०० रुपये मासिक तक संशोधन करने का प्रस्ताव पेश किया जाये।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली पोलिटैक्निक

२६३. { **श्री भगवत झा आजाद** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक दिल्ली पोलिटैक्निक के पुनर्गठन का अन्तिम स्वरूप क्या है;

(ख) पोलिटैक्निक की कौन सी विकास योजनाएं अभी पूरी करनी हैं; और

(ग) आगामी शिक्षा सत्र १९६४-६५ के लिये पोलिटैक्निक में शिक्षा की प्रत्येक शाखा में कितने विद्यार्थी लिये जा सकते हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :(क) और (ख). दिल्ली पोलिटैक्निक का अन्तिम रूप तथा पुनर्गठन अभी विचाराधीन है। तथापि दिल्ली पोलिटैक्निक को एक स्वायत्तशासी संस्था के प्रबंधाधीन एक इंजीनियरिंग कालेज के रूप में बनाने का विचार है।

दिल्ली पोलिटैक्निक का प्रशासी नियंत्रण १ अप्रैल, १९६३ से दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया गया है। एक ही संस्था में स्नातक तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को न चलाने की स्वीकृत नीति के अनुसार अब दिल्ली पोलिटैक्निक केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश दे रहा है।

दिल्ली पोलिटैक्निक में हाल तक काम चलाने वाला कला विभाग एक पथक स्थान पर स्वतंत्रता कला कालेज के रूप में बदल दिया गया है।

(ग) **स्नातक पाठ्यक्रम**

बी० एस-सी० (बिजली)	८०
बी० एस सी० (मकैनिकल) . . .	८०
बी० एस-सी० (सिविल) . . .	४०

राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्य क्रम

एन० डी० इंजीनियरी (बिजली) . .	४०
एन० डी० इंजीनियरी (मैकैनिकल) . .	४०
एन० डी० इंजीनियरी (सिविल)	३०

अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृतियां

२६३१. श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन निर्वाहन व्यय में वृद्धि होने के कारण उड़ीसा की अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये केन्द्रीय सरकार के अनुदान गत वर्ष वैज्ञानिकन की योजना के अन्तर्गत बढ़ा दिये गये थे ; और

(ख) क्या निर्वाह व्यय में और वद्धि होने के कारण इस वर्ष कोई अतिरिक्त अनुदान दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमतीचन्द्र शेखर): (क) इस योजना के लिये गत वर्ष उड़ीसा सरकार को दी गई राशि बढ़ा दी गई थी।

(ख) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा मांगी गई अधिक राशि स्वीकार कर ली गई है।

Soviet Circus

2632. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Education** be pleased to State :—

(a) the total number of persons who visited the Soviet Circus in Delhi;

(b) the total number of complimentary passes issued by the Ministry of Education and all other concerned;

(c) the criteria adopted for issuing complimentary passes; and

(d) the total gate money collected by the circus and head of the account to which it has been credited?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) 1,50,000 Approximately.

(b) 4345;

(c) Complimentaries were issued primarily to various organisations and the individuals in different fields, who were actively associated with the organisation of the circus performances. Complimentary passes were also sent to high-dignatories on request;

(d) A total of Rs. 3,03,965·00 was collected in Delhi. This amount has not so far been credited to any particular head of account and is lying in the State Bank of India pending finalization of accounts.

दिल्ली में इमारती सामान

२६३३. **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लोगों को इमारती सामान के कोटे के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनी अर्जियां मंजूर करवाने में महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जी, नहीं। सीमेंट को छोड़कर, जिसका उपलब्ध कोटा तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में कम पड़ता है, दूसरे इमारती सामान की स्थिति ठीक है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा सीमेंट के त्रैमासिक कोटे को बढ़ाने के लिये प्रार्थना की गई है।

Madhya Pradesh Vanvasi Sewa Mandal

2634. Shrimati Johraben Chavda : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government gives annual grants to Madhya Pradesh Vanvasi Sewa Mandal; and

(b) if so, the amount thereof and the total amount of money given so far during the Second and Third Five Year Plans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shrimati Chandrasekhar) : (a) No direct grants to this organisation are given by the Central Government.

(b) Does not arise.

सेवा निवृत आई० सी० एस० अफसर

२६३५. श्री अ० व० राधवन
श्री पोट्टे काट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवानिवृत्त कितने आई० सी० एस० अफसर इस समय गैर-सरकारी नियोजकों के पास काम कर रहे हैं;

(ख) उनकी संख्या कितनी है और वे किन व्यापारगृहों में हैं; तथा

(ग) उन को क्या वेतन, भत्ते तथा लाभ प्राप्त हैं ?

गृह-कार्यमंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना०मिश्र) : (क) से (ग) सरकार को पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है ।

'ल्यूब आयल'[1] संयंत्र

२६३६. श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **पेट्रौलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और कोठाली में एक 'ल्यूब आयल' संयत्र स्थाप्ति करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी; और

(ग) वास्तविक कार्य कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हमायून कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इन के बारे में चर्चा की जा रही है ।

क्लोरीन और कास्टिक सोडा संयंत्र

२६३७. श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रामपुरे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विटज़रलैंड की एक फर्म से क्लोरीन एवं कास्टिक सोडा संयंत्र प्राप्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब उनके लगाये जाने और कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

[1]Lube Oil Plant

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र के चार औद्योगिक एककों ने स्विटजरलैंड की एक फर्म से कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन संयंत्र लिये हैं।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार जून-अक्तूबर, १९६४ में चार एककों के चलने की संभावना है।

अर्जुन परितोषिकों के लिये ट्राफी'

२६३८. **श्री कर्णीसिंहजी :**
श्री ललित सेन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अर्जुन पारितोषिक प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को उनके उल्लेख के साथ-साथ दिये जाने के लिये अर्जुन पारितोषिक के लिये ट्राफी लगाने का निर्णय अन्तिम रूप से अनुमोदित हो चुका है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): अर्जुन पारितोषिक के प्रत्येक विजेता को उल्लेख पत्र के साथ साथ स्टैच्यूट देने का फैसला किया गया है।

मानक शब्दावलि

२६३९. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **शिक्षा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को सुझाव दिये हैं कि उन से सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्रकाशित सभी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पुस्तकों एवं प्रकाशनों में वह मानक शब्दावली प्रयुक्त की जानी चाहिये जो वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शब्दावली आयोग द्वारा बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में अन्य मंत्रालयों की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) किसी मंत्रालय ने इस मंत्रालय की प्रार्थना को मानने में कोई कठिनाई व्यक्त नहीं की।

वैशाली (बिहार) में संग्रहालय

२६४०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में वैशाली के स्थान पर एक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ठीक क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या होगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) वैशाली से प्राप्त पुराने अवशेषों को रखने के लिये एक संग्रहालय बनाने का निर्णय किया गया है ।

(ग) २८०,१२० रुपये ।

कोठागुडियम में उर्वरक संयंत्र

२६४१. **श्री र० ना० रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडियम (आंध्र प्रदेश) में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये भूमि का अभिग्रहण कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह संयंत्र १९६७ तक चलाया नहीं जा सकता ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) जिस पक्ष को फैक्टरी स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया था, उसने आंध्र प्रदेश सरकार को भूमि अभिग्रहण (समवाय) नियमों १९६३ के अन्तर्गत अभिग्रहण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्रवाई के लिये लिखा है ।

(ग) संरक्षकों को दिसम्बर, १९६६ तक संयंत्र द्वारा उत्पादन आरम्भ किये जाने की आशा है ।

दण्डकारण्य में आदिवासी भाषाओं की लिपि

२६४२. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने लिपिहीन भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिये किस लिपि को मान्यता दी है ; और

(ख) दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों के आदिवासी बच्चों को कौन सी लिपि सिखाई जाती है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन): (क) ऐसे मामलों में लिपि के सम्बन्ध में निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जेल की आदर्श नियम पुस्तक

२६४३. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमूने जेल की आदर्श नियम-पुस्तक के सम्बन्ध में सब राज्य सरकारों के मत प्राप्त हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने क्या मत और सिफारिशें की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में इर्विन की मूर्ति का हटाया जाना

२६४४. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री बागड़ी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का दिल्ली में इर्विन की मूर्ति को उसके वर्तमान स्थल से हटाने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार का उस स्थान पर किसी और व्यक्ति की मूर्ति लगाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) इस मूर्ति को हटाने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया ।

(ख) कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Central Higher Secondary Schools

2645. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :
Shri Vishram Prasad :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme to open 43 Central Higher Secondary Schools in the country ;

(b) if so, the location thereof and when they are likely to be opened; and

(c) the name of place in Rajasthan where such a school would be opened ?

The Minister for Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). The Central Schools Scheme, as formulated by the Government, envisages the establishment of about 100 Higher Secondary Schools at places having concentration of transferable Central Government employees (including Defence Personnel). It is expected that 57 Central Schools will be functioning from 1964-65 academic session at the undermentioned places :

1. Trimulgherry
2. Hyderabad
3. Dinapore Cantt.
4. Patna
5. Baroda
6. Jamnagar
7. Ahmedabad

8. Srinagar
9. Cochin
10. Trivandrum
11. Amla'
12. Pachmari
13. Saugor
14. Bhopal'
15. Indore
16. Avadi
17. Madras
18. Tambaram
19. Ahmednagar
20. Bombay (2 schools)
21. Dehu Road Cantt.
22. Khadakvasla
23. Kirkee
24. Lonavla
25. Nasik Road Camp
26. Poona
27. Bangalore (4 schools)
28. Ambala Cantt. (2 schools)
29. Ferozepur Cantt.
30. Jullundur Cantt.
31. Simla
32. Bikaner'
33. Jodhpur
34. Jaipur
35. Agra (2 schools)
36. Bareilly (2 schools)
37. Dehra Dun
38. Jhansi
39. Kanpur
40. Ranikhet'
41. Lansdowne
42. Lucknow Cantt.'
43. Manauri
44. Meerut (2 schools)
45. Roorkee (2 schools)
46. Barrackpore
47. Delhi Cantt.
48. New Delhi.'

(c) Bikaner, Jodhpur and Jaipur.

अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये आरक्षण

२६४६. **श्री दी० चं० सोय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों एवं आदिमजातियों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों के क्षेत्र से, सरकारी सेवाओं की कितनी और किन श्रेणियों की नियुक्तियां और पद, अभी तक बाहर हैं ; और

(ख) इस बहिष्कार के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्दमान में स्कूलों का सम्बद्ध किया जाना

२६४७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री ११ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपसमूह के सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सम्बन्ध को तोड़ने की सूचना पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा बोर्ड को दे दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बात को देखते हुए कि ऐसी सामयिक सूचना न देने के कारण १९५४ में केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा बोर्ड के साथ अन्दमान द्वीप समूह के स्कूलों को सम्बद्ध करने में गड़बड़ पड़ी, इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Government of France Scholarships

2648. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Education be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that Government of France have selected some students for scholarships;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the basis on which the scholarships will be awarded?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Scholarships will be awarded to the candidates selected as usual by the Government of India on an all India basis and exclusively on merit.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

२६४९. **श्री विशन चन्द्र सेठ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ से १९६४ तक की अवधि में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा विज्ञान में कितने छात्रों ने अभी तक योग्यता प्राप्त की है ;

(ख) उनमें से कितने भारत में हैं और कितने विदेश में, और

(ग) क्या यह भी सही है कि उन में से अधिकतर छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) १९५९ से १९६४ के बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इंजीनियरी की शिक्षा प्राप्त छात्रों की संख्या सम्बन्धी सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

विश्वविद्यालय का चिकित्सा कालेज दो वर्ष पहले स्थापित हुआ था और वहां से अभी कोई चिकित्सा स्नातक नहीं निकला ।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय प्राधिकारी वहां से विद्यार्थियों के निकलने के बाद उन के बारे में ऐसा कोई अभिलेख नहीं रखते कि वे कहां चले गये ।

Beggar Problem in Delhi

2650. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of beggars has increased so much that Delhi Administration has to launch a compaign against them again; and

(b) the action Government propose to take to root out this problem ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs Shri Hathi : (a) and (b). There is no record of the number of beggars in the Capital from time to time and, therefore, it cannot be said whether the number has increased lately. The Bombay Prevention of Begging Act, 1959 is in force in the Union Territory of Delhi since the 1st March, 1961. The enforcement of the Act is a continuous process and there is no special compaign.

जर्मन अध्ययन की भारतीय संस्था, पूना

२६५१. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्कन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में जर्मन अध्ययन की भारतीय संस्था के तत्वावधान में अग्रेतर शिक्षा के लिए जर्मन संघानीय गणतंत्र को अब तक भेजे गये भारतीय विद्यार्थियों के नाम और उनकी योग्यता क्या है ; और

(ख) कितने मामलों में भारत सरकार विद्यार्थियों के चयन में शामिल हुई है और कितने मामलों में शामिल नहीं हुई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क). और (ख) यह ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखियें संख्या एल० टी०--२८०८/६४]**

उन्हों ने जर्मन अध्ययन की भारतीय संस्था, पूना में अपने प्रशिक्षण का पहला भाग कम से कम द्वितीय श्रेणी में पूरा कर लिया था ।

भारत सरकार जर्मन संघानीय गणतंत्र में अग्रेतर अध्ययन के लिए छात्रों के चयन से सम्बद्ध नहीं है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आय के वितरण और जीवन स्तर संबंधी समिति के प्रतिवेदन का भाग १ और उस पर सरकार का वक्तव्य ; दीवानी अपील संख्या २२१ और २२२ के मामले में भारत के उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से निम्न-लिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) आय के वितरण और जीवन स्तर सम्बन्धी समिति द्वारा पेश की गयी आय तथा धन के वितरण और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के बारे में प्रतिवेदन का भाग १ और उस पर सरकार का वक्तव्य ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२८०१/६४]

(२) आय-कर पदाधिकारी, कोलार और एक अन्य बनाम सेघू बुचिया सेट्टी (१९६३ की दीवानी अपील संख्या २२१ और २२२) के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय । **[पुस्तकालय में रखी गयी देखियें संख्या एल० टी०—२८०२/६४]**

सालरजंग संग्रहालय बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेख

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद की वर्ष १९६२–६३ के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखे की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—२८०३/६४]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्तिराव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

समितियों के लिये चुनाव

ELECTIONS TO COMMITTEES

(१) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

श्री मु० क० चागला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा मंत्रालय के दिनांक ९ अप्रैल, १९६४ के संकल्प संख्या एफ० ११–३/६४–सी० १ के पैरा १(छ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, १ अगस्त, १९६४ से आरम्भ होने वाली अगली अवधि के लिये

उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि शिक्षा मंत्रालय के दिनांक ९ अप्रैल, १९६४ के संकल्प संख्या एफ० ११-३/६४-सी० १ के पैरा १ (छ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, १ अगस्त, १९६४ से आरम्भ होने वाली अगली अवधि के लिए उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड, के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

(२) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक ८ अगस्त, १९३५ के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या एफ० १२२-३/३५-ई० के पैरा ३(२) (घ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने के लिए अपने में से एक और सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक ८ अगस्त, १९३५ के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या एफ० १२२-३/३५-ई० के पैरा ३(२)(घ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने के लिए अपने में से एक और सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

करारोपण विधियां (वसूली की कार्यवाही को जारी रखना और वैध बनाना) विधेयक

TAXATION LAWS (CONTINUANCE AND VALIDATION OF RECOVERY PROCEEDINGS) BILL

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं श्री ति० त० कृष्णमचारी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी देय राशि के बारे में कार्यवाही को जारी रखने और वैध बनाने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी देय राशि के बारे में कार्यवाही को जारी रखने और वैध बनाने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री ब० रा० भगत : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक

EAST PUNJAB AYURVEDIC AND UNANI PRACTITIONERS (DELHI AMENDMENT) BILL

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : मैं डा० सुशीला नायर की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम अधिनियम, १९४९ में, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम अधिनियम, १९४९ में, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

डा० द० स० राजू : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक--जारी

INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL--contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा २८ अप्रैल, १९६४ को डा० द० स० राजू द्वारा प्रस्तुत निम्न लिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :--

"कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची का एक अन्य संशोधन जो है उसे भी लाया जाना चाहिये। मूल अधिनियम में पांडिचेरी का नाम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आदि अन्य देशों के साथ रखा हुआ है। अब चूंकि पांडिचेरी भारत का एक अंग बन चुका है इसलिए इसको प्रथम अनुसूची में लाया जाना चाहिये।

भारत में चिकित्सा सम्बन्धी, शिक्षा से सम्बन्धित तीन निकाय हैं जिनके कार्य एवं उद्देश्य एक दूसरे के समान ही हैं। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये। भारतीय चिकित्सा परिषद के, पास केवल इस व्यवसाय के स्तरों के नियंत्रण एवं निरीक्षण का काम होना चाहिये भारत में चिकित्सा शिक्षा की देख रेख का काम अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था के सुपुर्द होना चाहिये। मंत्रालय को चाहिये कि वह इन तीनों निकायों के कार्यों की जांच करे और उनमें समानता लाये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि चिकित्सा शिक्षा का समूचा काम शिक्षा मंत्रालय के अधीन हो। शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों मंत्रालय के अधीन होने से यह काम ठीक प्रकार नहीं हो पाता। इस कारण बहुत सी अनियमिततायें भी हो जाती हैं। केन्द्र की ओर से पश्चिम बंगाल सरकार को स्नातकोत्तर शिक्षा के लिये ५० लाख रुपया दिया गया परन्तु उस सरकार ने उस राशि को विश्वविद्यालय चिकित्सा कालेज पर व्यय करने की बजाय एक अन्य स्नातकोत्तर चिकित्सा कालेज खोल दिया। चिकित्सा शिक्षा के दो मंत्रालयों के अधीन होने से यह परिणाम निकलते हैं।

मेरा एक सुझाव यह है कि भारतीय शिक्षार्थियों को अन्य देशों में शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ भेजने की बजाय ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी उच्चतम डिग्री इस देश में ही मिल सके।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि आप जनता को वह सुविधायें एवं अधिकार प्राप्त नहीं हैं जिनका समावेश संविधान में पाया जाता है। क्षय रोगियों के लिए वर्तमान अस्पतालों में स्थानों की कमी है, इसलिए इन रोगियों का उनके घरों में इलाज करने के लिए प्रबन्ध किया गया जो बात कि सर्वथा अवांछनीय है। आम जनता के जो आवास स्थान है उनकी दशा बहुत खराब है। इसके अतिरिक्त रोगियों को ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर के पास पहुंचने के लिए चार चार, पांच पांच मील चलना पड़ता है। इसके साथ साथ एक और समस्या भी है। यदि ऐसे रोगी अपने घरों में रहते हैं तो उसके आस पास के लोगों को उस बीमारी का असर हो जाने की सम्भावना रहती है। इसलिए रोगी के घर पर इलाज करने का प्रबन्ध गलत है।

एक डाक्टर और चिकित्सा पदाधिकारी में उस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने चाहिएं जिस प्रकार के सम्बन्ध एक क्लर्क और अवर सचिव में हुआ करते हैं। परन्तु आजकल यह होता है कि डाक्टरों को भी चिकित्सा पदाधिकारियों की खुशामद करनी पड़ती है। इस कुरीति का भी अन्त होना चाहिये।

सरकार द्वारा तो स्पष्ट आदेश दिये जाते हैं परन्तु उन्हें लालफीताशाही के कारण ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया जाता।

ग्रामीण क्षेत्रों में और रेलवे अस्पतालों में डाक्टरों और अन्य प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की कमी को दूर किया जाना चाहिए।

अस्पतालों में सभी वर्गों के रोगियों का समान आधार पर इलाज नहीं किया जाता। मैं जानता हूं कि गुप्त रूप से इस प्रकार की हिदायतें भी दी गयी हैं। इस भेदभाव से दूर किया जाना चाहिए। चिकित्सा संस्थाओं के अध्यापक-गण अस्पतालों से सम्बद्ध होने चाहिएं।

श्री वारियर (त्रिचूर) : एक ओर तो देश में डाक्टरों की कमी है और दूसरी ओर हम सभी प्रकार की चिकित्सा संस्थाओं के बनाये जाने की अनुमति देते हैं हालांकि उनके पास उचित सामान नहीं होता, उचित चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध नहीं होतीं और अर्ह अध्यापकगण नहीं उपलब्ध होते। यह देखा गया है कि राजनीतिक आधार पर चिकित्सा संस्थायें जारी करने की अनुमति दी जाती है। उनके पास कालेजों के लिए उपयुक्त भवन भी उपलब्ध नहीं होते। ऐसी संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार की समितियों की मंत्रणा के विरुद्ध अनुमति दी जाती है। ऐसे स्थानों पर कालेज जारी किये गये हैं जहां कोई अस्पताल मौजूद नहीं है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में एक कालेज स्थापित किया गया था परन्तु उसमें प्रवेश करने के लिए १०,००० रुपया दान के तौर पर देना पड़ता था। अब वह पगड़ी बढ़ा कर १३,००० या १५,००० रुपये कर दी गयी है। वह कालेज अलपी में है। यह बात भी सर्वथा अनुचित है। इसके अतिरिक्त सरकारी कालेजों में फीस ८०० रुपये ही ली जाती है जब कि गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा ३६०० रुपये तक लिए जाते हैं। यह जो पगड़ी ली जाती है इसकी कोई रसीद नहीं दी जाती। इस प्रकार की प्रथाओं से देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। गैर-सरकारी संस्थाओं को कालेज खोलने के लिए अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनके पास सभी वांछनीय सुविधायें उपलब्ध हैं। सरकार को चाहिये कि वह स्वयं चिकित्सा कालेज स्थापित करे।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : मैं समझता हूं कि क्षय रोगियों की समस्या का सब से बेहतर हल यही है कि उनका इलाज घर पर किया जाय। यदि उनका इलाज घर पर किया जाय तो उनका खर्चा बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों में इन रोगियों के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं है। इसलिए घर पर इलाज करने की प्रथा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसके साथ प्राकृतिक इलाज को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अदोनी) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि चिकित्सा परिषद् के निरीक्षकों को शक्तियां प्रदान की जायें जिनसे कि वह चिकित्सा संस्थाओं में जाकर देखें कि स्टाफ, सामान एवं अन्य प्रकार की आवश्यक सुविधायें पर्याप्त हैं अथवा नहीं।

गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थाओं ने प्रायः काफी सन्तोषजनक काम किया है। सरकार को चाहिए कि वह इन संस्थाओं को अधिक से अधिक सहायता दे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

यह ठीक है कि बहुत संख्या में चिकित्सा स्नातक कालेजों से निकल रहे हैं, परन्तु उन में सेवा की भावना नहीं पायी जाती। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। डाक्टर केवल नगरों में ही काम करना चाहते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति से एक ग्रामीण और गरीब व्यक्ति चिकित्सा सुविधा से वंचित रह जाता है। सरकार को चाहिए कि वह डाक्टरों की पदोन्नति के लिए यह शर्त रख दे कि उन्हें अमुक समय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : आज हमारे समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि देश में चिकित्सा स्तर को किस तरह ऊंचा उठाया जाय ताकि आम लोगों के लिये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। निरीक्षक एवं पर्यवेक्षक नियुक्त करना, इस विधेयक की मुख्य बात है। इससे चिकित्सा संस्थाओं में जो भी त्रुटियां पाई जाती हैं वह सामने आ जायेंगी और उनका निवारण किया जा सकेगा। यदि हम चाहते हैं कि सारे देश में चिकित्सा का स्तर एक समान ही हो तो यह आवश्यक है कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जाय। हमारे चिकित्सा कालेजों से जो भी स्नातक निकलें उनमें वह सभी खूबीयां पाई जानी चाहिएं जो कि अन्य देशों के स्नातकों में पाई जाती हैं। आज हमारे लगभग १००० चिकित्सा स्नातक अमरीका और ब्रिटेन में हैं। वह वापस नहीं आना चाहते चूंकि हमारे देश में उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलते और प्रयोगशाला सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। हमें उन्हें आश्वासन देना होगा कि यह सब सुविधायें उन्हें उपलब्ध की जायेंगी। यदि वह यहां आ जायें तो देश की सेवा कर सकते हैं।

कुछ गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थायें ऐसी हैं जो प्रवेश इस शर्त पर देती हैं कि कुछ हज़ार रुपये दान के तौर पर उन्हें दिये जायें। इस कुरीति का अन्त होना चाहिए।

मुझे आशा है कि मेरे सुझावों की ओर ध्यान दे कर मंत्रालय चिकित्सा पद्धति में सुधार लाने का प्रयत्न करेगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं नहीं चाहता कि गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थाओं को निरुत्साहित किया जाये। गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थाओं का चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान है अतः हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि कोई समर्थ छात्र दान के तौर पर ५००० या ६००० रुपया किसी संस्था को देता है तो यह कोई बुरी बात नहीं है। इन छात्रों के मां-बाप जो बलिदान देते हैं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। संसद सदस्य श्री रामपुरे ने गुलबर्ग, मैसूर में उच्च तकनीकी विकास संबंधी संस्थायें स्थापित कर के काफी बड़ा योगदान दिया है। इसी प्रकार कुछ अन्य स्थानों में भी कई संस्थायें हैं जिन्होंने काफी योगदान दिया है जैसे मनीपुर के निकट, उदिपी मे, बंगलौर में, तथा अन्य स्थानों में। इसलिये ऐसी संस्थाओं को प्रत्येक प्रकार की सुविधा देनी चाहिए।

प्राकृतिक पद्धति, होमियोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने और सहायता देने की मंत्रालय की वर्तमान प्रवृत्ति से मुझे बहुत सन्तोष हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं सभा के सभी वर्गों की आभारी हूं कि उन्होंने विधेयक का समर्थन किया है।

अन्तिम वक्ता ने गैर सरकारी चिकित्सा कालेजों के बारे में कहा था कि वे पैसा कमाने वाली संस्थाएं हैं। ये गैर सरकारी कालेज ही दो प्रकार के हैं। एक तो वे हैं जो परोपकारी संगठन द्वारा चलाये जा रहे हैं। उनकी कोई विरोधी आलोचना नहीं करता। दूसरे कालेज दुकानों की तरह हैं जिन की ओर श्री पी० आर० चक्रवर्ती ने संकेत किया है। वहां कुछ अवांछनीय बातें होती हैं और ऐसे छात्रों को प्रवेश दे दिया जाता है जो न्यूनतम योग्यता प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य बातें भी हैं जो श्रेयस्पद नहीं

[डा० सुशीला नायर]

हैं । हमें उनकी ध्यानपूर्वक जांच करनी है । यह देखना है कि या तो उनके संगठन में राज्य सरकार के प्रतिनिधि हों या स्वतंत्र अभिकरण हों जो छात्रों के चुनाव और एकत्र की गई धन राशि के खर्च का नियंत्रण कर सकें ।

सरकारी कालेजों में भी कुछ बुराइयां हैं किन्तु वे वाणिज्यिक संस्थाओं के रूप में नहीं चलाये जाते । मद्रास में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बैठक में हमने एक समिति नियुक्त की थी ताकि वे गैर सरकारी कालेजों की बुरी प्रथाओं का अध्ययन करें । मैं इस बात के पक्ष में हूं कि चिकित्सा कालेजों में योग्यता के आधार पर प्रवेश हों और ज़िलों, प्रदेशों और जातियों के आधार पर कोई जगहें सुरक्षित न रखी जाएं किन्तु लोगों के कुछ प्रतिनिधि आग्रह करते हैं कि प्रदेशों और ज़िलों के आधार पर जगहें सुरक्षित रखी जाएं । यह सिद्धांत गलत होगा कि एक राज्य मे ऐसे संरक्षण का पक्ष किया जाए और अन्य राज्यों मे योग्यता के आधार पर छात्रों के चुनाव पर बल दिया जाए ।

डा० सिंघवी ने पूछा था कि कुछ देशों की उपाधियों को यहां मान्यता दी जाती है जब कि अन्य देशों की डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाती। मान्यता देने के सम्बन्ध में हम राष्ट्रीय हित और प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं और जो देश हमारी डिग्रियों को मान्यता देते हैं उनकी डिग्रियों को हम भी मान्यता देते हैं।

चिकित्सकों की व्यवहार संहिता पहले भी थी किन्तु उसका प्रशासन राज्य चिकित्सा परिषद् के हाथ में था और अब उसे केन्द्रीय परिषद् के अधीन माना जा रहा है क्योंकि इस में बहुत त्रटियां थीं ।

डा० सिंघवी ने यह भी प्रश्न उठाया था कि विदेश से जो डाक्टर और धर्म के प्रचारक आते हैं उन्हें बिना पंजीयन के चिकित्सा कार्य करने की अनुमति देनी चाहिये । ऐसे सभी प्रचारक केवल सेवा भाव से नहीं आते और हमें पता है कि कुछ डाक्टर बिना योग्यता के ही अंधाधुंध रुपया कमाते रहे हैं । अतः यह आवश्यक उपबंध कर दिया गया है कि या तो वे अपने देश में रजिस्टर हुए हों या यहां पंजीयन प्राप्त करें ।

एक माननीय सदस्य ने यह विचित्र बात कही थी कि ब्रिटिश शासन में चिकित्सा पाठ्यक्रम छोटे थे और अब वे लम्बे हैं । अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय अधिक योग्यता प्राप्त करें और लाईसेंसधारी डाक्टरों की संख्या अधिक थी और अब डिग्री के लिए ४ १/२ वर्ष की अवधि नितांत अपेक्षित है ।

निस्संदेह आज देश में डाक्टरों की बहुत कमी है किन्तु समस्या का हल प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने में नहीं बल्कि डाक्टरों के सम्मान वितरण में है क्योंकि नगरों मे डाक्टर अधिक हैं और गांवों में वे काम करने के लिए तैयार नहीं होते ।

हमने सुझाव रखा है कि सेवाकाल के पहले पांच वर्षों में डाक्टर को दो वर्ष गांवों में काम करना चाहिये और १५ वर्ष की सेवा के बाद कुशलता संबंधी अवरोध पार करते समय वह पांच गांवों मे काम करें । जब किसी डाक्टर को दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्त

किया जाता है तो प्राय: राज्य मंत्रियों और अधिकारियों पर दबाव डाला जाता है। वास्तव में हर डाक्टर को गांव में जाकर काम करने के लिए तैयार रहना चाहिये।

इस वर्ष चिकित्सा शिक्षा में १०,२०० छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया है किन्तु बहुत से छात्र फेल हो जाते हैं। उपाधि पाने वाले छात्रों को उपयुक्त रीति से बांटने की व्यवस्था कर दी है। पंजीयन से पूर्व हर छात्र को तीन मास के लिए गांव मे काम करना होगा और उस से पहले उन्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए किसी अस्पताल में एक वर्ष काम करना होगा।

किसी सदस्य ने कहा था कि चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय के अधीन होनी चाहिये। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इस पर भली प्रकार विचार किया गया था और तब यह निश्कर्ष निकाला गया था कि चिकित्सा शिक्षा में अस्पताल में काम करना आवश्यक होता है और अस्पताल विभिन्न प्राधिकारियों के अधीन होते हैं अत: यह शिक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय रखा जाए।

अध्यापकों के स्तर के बारे मे बहुत कुछ कहा गया है। मैं उन सदस्यों से सहमत हूं हमने दूसरी योजना मे राज्यों से कहा था कि वे अध्यापकों का स्तर ऊंचा करने के लिए जितना खर्च करेंगे हम ५० प्रतिशत के आधार पर उन्हें सहायता देंगे। किन्तु उस प्रस्ताव का उपयोग कुछ ही राज्यों ने किया था। अब भी यदि राज्य उसके लिए तैयार हों तो चौथी योजना में व्यवस्था की जा सकती है। कुछ सदस्यों ने डाक्टरों पर आरोप लगाये हैं कि वे अंधाधुंध रुपया कमाते हैं। वकीलों की फीस के विरुद्ध क्यों वावेला नहीं मचाया जाता? वास्तव में डाक्टर स्वयं चाहते हैं कि उनका वेतन बढ़ा दिया जाए और रोगियों से फीस लेने की अनुमति न हो क्योंकि अमीर लोग नेताओं की सिफारिश ले जाते हैं और गरीब फीस दे नहीं सकते।

जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए व्यवस्था है हम आम जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना बनाना चाहते हैं। कह नहीं सकते कि सारे देश के लिए ऐसी योजना कब बना सकेंगे किन्तु इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

डा० महीषी ने नामकरण में एकरूपता का प्रश्न उठाया उसके लिए विधेयक में प्रयत्न किया गया है।

मैं अपने अनुसंधान कर्त्ताओं की आभारी हूं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था निकाली है जिससे क्षय रोगियों का उपचार घर पर ही हो सकेगा और घर के लोगों में रोग का संक्रमण नहीं होगा। अन्यथा ५ लाख या १५ लाख शय्याएं तैयार करने पर ही स्वास्थ्य के लिए नियत सारी राशि खर्च हो जाती।

चिकित्सा कालेजों की संख्या ८० हो गई है और उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की योजनाओं में भी और कालेज स्थापित करने की व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

१. कि खण्ड २ से १६ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड २ से १६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 16 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड १७ में संशोधन है :

संशोधन किया गया :

Amendment made:

(१) पष्ठ ७,

(क) पंक्ति ८१ में "University of Glasgo" ["गलास्गो विश्व-विद्यालय" के स्थान पर "University of Glasgo" [गलास्को विश्वविद्यालय] शब्द रखे जाएं ।

(ख) पंक्ति ४४ स्तम्भ १ में "University of Andrews" [एंड्रियूज़ विश्वविद्यालय"] के स्थान पर "University of St. Andrews" ["सेंट एड्रियज़ विश्वविद्यालय"] रखा जाए ।

(२) पृष्ठ ८ में :

(क) पंक्ति ४ और ५ स्तम्भ ३ मे "University of Dublin" [डब्लिन विश्वविद्यालय] मद में Bachelor of Medicine and Bachlor of Surgery [चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक"] के स्थान पर "Bachelor in Medicine and Bachelor in Surgery" ["चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक] रखा जाये ।

(ख) पंक्ति ११ स्तम्भ १ में "National University Ireland" [आयरलैंड राष्ट्रीय विश्वविद्यालय] के स्थान पर "National University of Ireland" [आयरलैंड का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय] रखा जाये ।

(ग) पंक्ति १९ स्तम्भ २ में "M.R.C.P." [एम० आर० सी० पी०] के स्थान पर "M.R.C.S." [एम० आर० सी० एस] रखा जाये ।

(घ) पंक्ति २७ में :—

(एक) स्तम्भ २ में "M.R.C.S." [एम० आर० सी० एस०] के स्थान पर "L.R.C.S." [एल० आर० सी० एस०] रखा जाए

(दो) स्तम्भ ३ में "Member" [सदस्य] के स्थान पर "Licentiate" [लाइसेंशियेट"] रखा जाय ।"

श्री च० का० भट्टाचार्य : दूसरी अनुसूची में पांडीचेरी का उल्लेख है जबकि इस संशोधन में पांडीचेरी का नामोल्लेख नहीं होना चाहिये ।

डा० सुशीला नायर : मैं यह कहना भूल गई कि यह संशोधन कर दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड १७ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 17, as amended was added to the Bill.

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 Enacting Formula and Title were added to the Bill.

डा० सुशीला नायर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा विधेयक

DAKSHINA BHARAT HINDI PRACHAR SABHA BILL

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा नामक संस्था को, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय इस समय मद्रास में है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और तत्सम्बन्धी कुछ विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक विवादस्पद नहीं है । महात्मा गांधी के पथप्रदर्शन में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार संघ की स्थापना १९१८ में हुई थी । उस के ६००० केन्द्र हैं और ७००० प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता हैं । इसने पिछले ४५ वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है । इसलिये इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना उचित ही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा नामक संस्था को, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय इस समय मद्रास में है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और तत्सम्बन्धी कुछ विषयों का उपबन्ध करने वाले बिल पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू और काश्मीर): मैं स्पष्टीकरण के लिये यह पूछना चाहता हूं कि इस सभा के लिये निधि कहां से आयेगी ? क्या सरकार इसे अंशदान देती है ?

श्री मु० क० चागला : यह अन्य विश्वविद्यालयों की तरह है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व की घोषित किया जाता है। धारा ३ के अन्तर्गत आवश्यक धन शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जायगा ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए कुछ गंभीर आशंकाएं प्रकट करना चाहता हूं। यह सभा पिछले ४५ वर्ष से काम कर रही है और इसके ७००० प्रचारक हैं तो सरकार क्यों इसे स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहती। उसके स्वतन्त्र रहने से उसके कामों का अधिक विस्तार हो सकता है और सरकार अध्यापक और प्रचारक भेज कर तथा धन दे कर इसकी सहायता कर सकती है।

अब अधिकांश राज्यों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। विशेषत: केरल में हर कक्षा में हिन्दी है। ऐसी स्थिति में एक संस्था को सुदृढ़ बनाने की बजाय जो पहले ही अच्छा काम कर रही है सरकार शिक्षा संस्थाओं को सहायता दे कर हिन्दी का प्रचार क्यों नहीं करती।

प्रारम्भ में हिन्दी के प्रचार को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध समझा जाता था अत: सारे भारत में इस के लिये उत्साह था। अब दक्षिण के लोग इस आरोप से हिन्दी का विरोध करते हैं कि हिन्दी का साम्राज्यवाद उन पर आरोपित किया जा रहा है। हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से प्रेम होता है और कांग्रेस के १९२८ या १९२९ के संकल्पों में यह कहा गया है कि मातृभाषा से भिन्न भाषा को विदेशी भाषा समझना चाहिये। अत: दक्षिण के लोग हिन्दी को विदेशी भाषा समझते हैं। हम भी भारत की राष्ट्रभाषा चाहते हैं किन्तु हिन्दी भाषी इसका समर्थन छोड़ दें तो दक्षिण की आशंकाएं दूर हो सकती हैं। हिन्दी का प्रचार लोगों पर छोड़ देना चाहिये और सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

जब हिन्दी के पक्षपाती हिन्दी भाषा को राजभाषा बनाने पर बल देते हैं तो लोग ये समझते हैं कि यह भाषा इसी तरह उन पर थोपी जा रही है जिस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी भाषा थोपी थी। यदि स्वयंसेवी संगठन हिन्दी का प्रचार करें तो ऐसी भावना नहीं फैलेगी और लोग स्वयं उसे सीखने के लिये तैयार होंगे। शासन द्वारा हस्तक्षेप होने पर स्वभावत: उसका विरोध किया जायगा :

इसलिये मैं कहता हूं कि इस संस्था को स्वायत्त शासी रहने दिया जाये।

Dr. Govind Das (Jabalpore) : I congratutate the honourable Minister for bringing this Bill which is of historical importance.

I am glad that my predrecessor has not opposed this bill but he has expressed some doubts regarding the imposition of Hindi on non-Hindi Speaking people. These doubtes are baseless ninty nine per cent of the pracharaks of this sabha are from non-Hindi Speaking areas.

The Dakshni Hindi Prachar Sabha was established under the guidance of Mahatma Gandhi, by Annie Brant in the year 1918. Gandhi Ji knew that Hindi could be integrating force for the unity of the country not because it was a superior language but because it was the mother language of the 40 per cent people. All the other languages enumerated in the constitution are national languages but the work in the centre should be transacted through one language that is Hindi.

Now let us look to the History of the Hindi Prachar Sabha. It has 7000 Pracharaks and 6000 centres. 75 lakhs of people have learnt Hindi under the auspices of this Sabha and among them there are 30 per cent women. In the year 1936 it had only 441 centres which rose to 1350 in 1961.

As a matter of fact 99 per cent of the workers of the Sabha are not Hindi Speaking. Hindi is not being opposed by non-Hindi Speaking people. It is being opposed by those 1 per cent people who know English. They oppose it for their own selfish motives. Only two Southern states that is Tamilnad and Bengal are opposing Hindi because their self-interest is served by English.

To declare the Hindi Prachar Sabha as an institution of national importance is not enough but it should be given adequate financial assistance. The Government has not followed the wishes enbodied in the constitution.

I am of the opinion that a comprehensive plan may be formulated so that spread of Hindi may be possible in the non-Hindi speaking areas. For that following things are very necessary.

The teaching of Hindi should be made compulsory throughout the country. The literature in Hindi and regional languages should be developed at a fast pace. The libraries should be supplied with more Hindi books. We should put in our all efforts so that an atmosphere in favour of Hindi should be created in the Hindi as well as non-Hindi speaking areas. Hindi has been accepted as our official language by the Constituent Assembly unanimously. Hindi is the only link that could unite the entire country. Mahatma Gandhi was also of the opinion that we should be able to get the upmost mental development of our people without the aid or the assistance of English. The main foundation of our Independence is that we make the country free from this love of English.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I congratulate the Hon. Minister for education for bringing forward this bill. This was long over due. This ought to have come forward at least ten years before. Now the progress of Hindi is in good speed, and it is not possible for the Government to stand in the way of the spread. But I am shocked that this bill concerning the propagation of Hindi is being presented in English. The propaganda of Hindi should begin from the Parliament. I want to tell you that if Hindi did not survive, the nation also could not survive. Now-a-days also there could be the talk of imposition of Hindi. But I may tell you that only slaves of the English language complained

[Shri Yashpal Singh]

of imposition of Hindi. Even the small state like Israel had adopted Hebrew as its language. Though this language is 2000 years old. But after 17 years of our Independence we have not been able to have all our official work done in Hindi.

This bill is being presented before the House, it is not an extra-ordinary thing. 45 years before Mahatma Gandhi started this work and today the time had come this institute should have been given the status of a University. That will be the honour done to Mahatma Gandhi. People in the south want to learn Hindi. Only a few people want to remain the slaves of English. Great harm is being done to Hindi in the Parliament. The translation work is not being properly conducted. The translation work should be entrusted to the expert hands.

Dakshni Bharat Hindi Prachar Sabha has done great work for the propaganda of Hindi. But the bill did not give adequate powers to the Sabha. It should function like a department of the Government but as a university. It is wrong to say that Hindi is not understood in certain parts of the country, the fact is that, Hindi is understood in all parts of India including the South. I am not statisfied, the speed with which the propagation of Hindi is being done paticularly in South India. Still it is good that something is being done. I urge that the propaganda of Hindi should be done at a good speed.

श्री सुब्बारामन (मदुराई) : दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करके सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं इसके लिये सरकार को मुबारकबाद देता हूं। यह संस्था १९१८ में स्थापित की गई थी। इस ४५ वर्ष के काल में इसके द्वारा ७ हजार प्रशिक्षित प्रचारक निर्माण किये गये, ६००० से अधिक हिन्दी के केन्द्र स्थापित किये गये। दक्षिण भारत के राज्यों में लाखों लोगों ने इस संस्था के माध्यम से हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दक्षिण भारत के राज्यों में हिन्दी का प्रचार करने की दिशा में दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रचार सभा ने बहुत अच्छा कार्य किया है। महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज्य की लड़ाई में हिन्दी को मुख्यतः अपने समक्ष रखा था। हिन्दी एक प्रकार की देश-भक्ति जागृत करती है और देश की एकता में सहायक होती है।

दक्षिण भारत के राज्यों में तामिलनाद को छोड़ कर कहीं भी हिन्दी का विरोध नहीं है। सब जगह लोग हिन्दी पढ़ने की आकांक्षा रखते हैं। तमिलनाद में भी इसका बहुत तेजी से विकास हो रहा है। डी० एम० के० दल द्वारा हिन्दी के किये जाने वाले विरोध का कारण यह शंका है कि इसका प्रादेशिक भाषाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में हिन्दी से प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति में सहायता मिलेगी। हिन्दी का प्रचार करने के साथ सभा ने प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति को प्रोत्साहन दिया है। इसने प्रादेशिक भाषाओं के मुख्य ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद किया है। विधेयक चाहता है कि सभा के डिप्लोमा और सर्टिफिकेटों को मान्यता प्राप्त हो। यह सोचना गलत है कि सभा सरकार का एक विभाग बन जायेगी। सरकार ने केवल यह सुनिश्चित करने के लिये अधिकार प्राप्त किया है कि यह कुशलतापूर्वक कार्य करती रहे।

मैं इस बात को एक बार फिर कहूंगा कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा इस बात का भी प्रचार करती रही है कि विभिन्न भाषायें एक दूसरे के निकट आयें। इसके लिये हिन्दी

को सरल बनाना चाहिये। और प्रारम्भिक हिन्दी में सरल पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित किया जाय ताकि हमारे लाखों लोग उन्हें समझ सकें। तामिलनाद में कुछ वर्ण नहीं हैं जिससे वहां पर रोमन लिपि चालू की जा सके। हिन्दी भाषा को सरल बनाया जाय। क्रियाओं को कर्म पर आधारित किया जाय तथा लिंग की कठिनाई को दूर किया जाय। यदि यह सब कठिनाइयां दूर कर दी जायं तो बहुत संख्या में लोग हिन्दी सीखना शुरू कर देंगे। इन शब्दों में मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I support this bill, and congratulate Dakshni Bharat Hindi Prachar Sabha for the great work it did in connection with the propaganda of Hindi in the South. The institution was founded in 1918, and since then it had taught Hindi to the Seven millions of people. Government did not pay any attention for giving any help to this institute. The work in this direction was Started by Mahatama Gandhi. If the Government had paid some attention towards this thing and started colleges, newspaper and periodicals, it would have reached every house and corner of the South.

The people go after English. For, it is after learning English that one becomes capable of getting some job. Whereas Hindi has no recognition in obtaining services. Under the article 343 of the constitution Hindi has been recognized as the national language but due to different pressures we have not given it an adequate recognition. We must understand that Hindi was a link language which was understood in every part of the country. If proper encouragement is given to Hindi then it can very nicely prosper.

There were some complaints that Hindi teachers in the south were not given adequate time for teaching Hindi. Also these Hindi teachers are not adequately paid for. I would request the honorable Minister to look into these complaints. Together with that it may also venture to state that many a times it is seen that when the institution is taken over, it is generally ignored. I think this type of treatment will not be given in the case of Sabha, which is being recognized as the institute of national importance.

I would also suggest that Government should propagate Hindi in the South by estaglishing night schools and by teaching Hindi from the primary stage. Also the officers and members of the Parliament from the South should also be taught Hindi. English has suppressed the Indian languages and no definite method is adopted to minimise its effect. We should try to do everything so that our freinds of the South may learn Hindi in five years, instead of ten years.

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम) : मेरे विचार में हिन्दी का प्रचार करना संघ सरकार के कर्तव्य में आता है। संविधान के अनुच्छेद ३५१ ने संघ का यह कार्य निश्चित किया है कि भारत भर में हिन्दी का प्रचार करे। "हिन्दी प्रचार सभा" दक्षिण में इस काम को कुशलता से कर रही है, इसलिये विधेयक का स्वागत है। संघ सरकार ने हिन्दी भाषा के प्रचार के बारे में गम्भीरता से काम नहीं किया है जिसके फलस्वरूप दक्षिण के लोग बड़ी संख्या में अब भी हिन्दी नहीं समझते हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी का प्रचार ठीक ढंग से हो उसके लिये दक्षिण में हिन्दी अध्यापकों के सभी वेतन केन्द्र द्वारा दिये जाने चाहियें अन्यथा वे संविधान द्वारा सौंप

[श्री प० गो मेनन]

गया काम पूरा नहीं करेंगे। अनुच्छेद ३५१ में उपलब्ध है कि हिन्दी भाषा भारत की अन्य भाषाओं की शब्दावलि की शैलियों आदि से कुशल बनाई जाय।

हिन्दी को भारत की राष्ट्रीय भाषा माना गया है क्योंकि भारत के लोगों की बहुत बड़ी संख्या हिन्दी बोलती है। शायद संसार में ऐसा कोई देश नहीं है और न ही कोई ऐसा इलाका है जहां के इतने अधिक लोग एक ही भाषा बोलते हों जितने कि हिन्दी बोलते हैं। हमें भाषा का निर्माण इस तरह करना चाहिये कि भारत का प्रत्येक नागरिक इसे अपनी राष्ट्र भाषा स्वीकार करने में अपना गौरव अनुभव करे। इन शब्दों में विधेयक का समर्थन करता हूं

श्री रामभद्रम (कडलर) : मैं अपने दल डी० एम० के० की ओर से इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विधेयक के जो लक्ष्य और कारण बताये गये हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि हिन्दी के विरुद्ध इतना बड़ा आन्दोलन तथा बड़े बड़े प्रदर्शन देखने के बाद भी सरकार इस विधेयक को प्रस्तुत करने का साहस कर रही है। अभी तो हिन्दी विरोधी आन्दोलन के नेता भी जेलों में पड़े हैं।

एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें हिन्दी से कोई द्वेष अथवा घृणा नहीं है। हिन्दी का अपना स्थान है और वह स्थान भारतीय भाषाओं में हिन्दी को प्राप्त होना चाहिये। परन्तु इसे उच्चतम स्थान या विशेष गौरव प्रदान नहीं किया जाना चाहिये। मेरे विचार में भाषा के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने जो आश्वासन दे रखे हैं यह विधेयक उन्हें खुली चुनौती है। सरकार को यह विधेयक वापस ले कर दूसरा विधेयक पेश करना चाहिये जिसमें सभी राष्ट्रीय भाषाओं में प्रचार के लिए संस्थायें बनाने का उपबन्ध हो। कोई भी अहिन्दी भाषी क्षेत्र हिन्दी को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। भाषा की समस्या पसन्द और भावना को समझ कर हल की जानी चाहिये। विधेयक से प्रतीत होता है कि सरकार के समर्थन के बिना, हिन्दी अपने विरोध का सामना नहीं कर सकती।

मेरे विचार में सरकार को यह विधेयक वापस लेना चाहिये। इस मामले में जल्दी नहीं की जानी चाहिये। आपको प्रयत्न करना चाहिये कि दक्षिण भारत के लोगों का विश्वास आप में हो। और वे हिन्दी पढ़ने की ओर प्रेरित हों हिन्दी प्रेमियों को भी सरकार से इस विधेयक को वापिस लेने के लिये कहना चाहिये। और लोगों को प्यार से जीतना चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो हिन्दी भाषी तथा अहिन्दी भाषी लोगों के दिलों में काफी कटुता पैदा हो जायेगी।

श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। महात्मा गांधी ने हिन्दी को अपने रचनात्मक प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण मद बनाया था। इसमें कोई दबाव नहीं था। दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रचार सभा ने दक्षिण की सभी प्रादेशिक भाषाओं की सेवा की है संघ सरकार ने भी उनकी उपेक्षा नहीं की। इसके साथ ही संविधान में हिन्दी को विशेष स्थान दिया गया है।

भारत बहु-राष्ट्रीय या बहु-सांस्कृतिक राज्य नहीं है, बल्कि यह बहु-भाषी देश है। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के सभी पवित्र ग्रन्थों का पाठ एक ही है। सभा पहले से ही डिप्लोमा और सार्टिफिकेट देती है, इसलिये यह उचित है कि सरकार इसकी सेवाओं को मान्यता दे।

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में कोई झगड़ा नहीं है। एक दिन आयेगा जब कि हिन्दी भारत के सभी लोगों की भाषा बन जायेगी। दक्षिण में युवक लोग हिन्दी पढ़ रहे हैं वे हिन्दी के विरोधियों का समर्थन नहीं करेंगे। वे उत्तर भारत के लोगों को भी हिन्दी पढ़ा सकेंगे। हिन्दी वालों को अधिक सहनशीलता और प्रेम की भावना से काम लेना चाहिये ताकि वे दक्षिण के लोगों की स्वेच्छिक अनुमति तथा सहयोग प्राप्त कर सकें। जैसा कि सेठ गोविन्द दास ने कहा है हमें अधीर नहीं होना चाहिये। इससे शान्ति और धीरज का आन्दोलन समझ कर प्रेम से कार्य करना चाहिये। यही एक ढंग है जिससे हम लोगों को इस मामले में अपने साथ ले सकेंगे। और मुझे यह आशा है कि इस तरह दक्षिण भारत के लोग अवश्य हिन्दी की ओर आकृष्ट होंगे। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : मैं समझता हूं कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद ३४४ और ३५१ के अनुसरण में लाया गया है जिसके अनुसार अंग्रेजी के प्रयोग पर नियंत्रण किया जायगा और हिन्दी की उन्नति की जायगी।

[**श्री तिरूमल राव** पीठासीन हुए]

[**Shri Thirumal Rao** *in the Chair.*]

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने बहुत महान कार्य किया है। इतिहास में कभी किसी भी आत्म स्वाभिमानी राष्ट्र ने विदेशी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं दिया। अतः किसी स्थानीय भाषा को यह स्थान मिलना चाहिये चाहे वह तामिल हो और चाहे हिन्दी। तभी लोगों के साथ सम्पर्क पैदा हो सकता है। हिन्दी का विरोध केवल अंग्रेजी के ज्ञाता पथ भ्रष्ट लोग कर रहे हैं।

इस सभा को राष्ट्रीय संस्था घोषित करने के साथ साथ ऐसा उपबंध करना चाहिये कि हिन्दी का प्रसार अधिक गति से हो। इस सभा को यह श्रय प्राप्त है कि इसने दक्षिण में बिना विरोध की भावना पैदा किये मधुर अनुरोध द्वारा हिन्दी का प्रचार किया है। इसलिये मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। डी० एम० के० के सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि इस विधेयक द्वारा उन पर हिन्दी थोपी जा रही है। यह संस्था बहुत प्रतिष्ठित है क्योंकि इस से न केवल महात्मा गांधी का सम्पर्क रहा है बल्कि श्री राज गोपालाचार्य का भी सम्पर्क रहा है।

इस सभा का कार्य विरोधाभास का द्योतक है। इसकी ६००० शाखाएं हैं, ७००० प्रचारक हैं और ७० लाख लोगों को इसने हिन्दी सिखाई है और हिन्दी के उद्दन्ड पक्षपातियों से भी कहीं अधिक काम किया है।

इसे मान्यता देने में बहुत विलम्ब किया गया है और गलत ढंग से मान्यता दी गई है। इस विधान द्वारा इस सभा पर नौकरशाही का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा जबकि इसे स्वायत्त-शासी विश्वविद्यालय बना देना चाहिये था। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Dr. Sarojini Mahishi (Dharwar-North) : This is not the occasion to discuss the recognition of Hindi because Hindi has already been recognised.

This Sabha has done a valuable service to the nation during the last 45 years and has taught Hindi to non-Hindi Speaking people. It has extended its services to Delhi even where Kanad, Tamil and Malyalam speaking people are learning Hindi under the auspices of the Sabha.

[Shri Sarojini Mahishi]

The Sabha has been doing this job of great utility for several years and has already set up 6000 centres and has 7000 Pracharaks. The right place for it was to recognise it as a university. Recently a legislation was enacted regarding Sahitya Sammelan Allahabad under which the Sammelan has been given the right to perform the following :—

हिन्दी और देवनागरी लिपि का प्रचार और प्रसार करना, हिन्दी में परीक्षाएं लेना और उपाधियां देना, स्कूल और कालेज स्थापित करना और चलाना, हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों को पुरस्कार देना आदि ।

This way the scope of the work of Hindi Sammelan has extended to the extent that its branches can now be set up in foreign countries as well. Whereas the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha is required to keep its accounts in the form prescribed by the Government. There is no such restriction on the Sammelan. The Hindi Sabha is not being given the autonomy nor the facilities which have been provided to sammelan, are given to the Sabha. The propagation of Hindi was started by this Sabha in the South at a time when the freedom of the country was not yet in view.

On the advent of freedom Hindi was recognised as the national language and efforts were initiated to make it official language as well. The members of D. M. K. are opposing it only for the sake of politics, otherwise their children are learning Hindi and Hindi is a subject in the courses of study in the schools of Madras, Keral, Andhra and Mysore.

The assistance which should have been given by the Government to the voluntary organisations in the South for the propagation of Hindi is not forthcoming. The Committee set up for giving assistance to the Sabha should consist of the representatives of the South, so that they can know the difficulties encountered by the South. Moreover the restrictions imposed on the Sabha regarding purchase of property and getting loan on security should be removed.

In the end I congratulate the Hon. Minister for giving recognition to the services of the Sabha.

सभापति महोदय : मैं अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का समय देने का प्रयत्न करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति १० मिनट बोले। यह चर्चा ५ बजे खत्म होनी चाहिये और विभिन्न राज्यों और दलों के सदस्यों को अवसर मिलना चाहिये यही मैं चाहता हूं ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I oppose this Bill like our D.M.K. friends though for altogether different reasons. At the same time, I support their demand for the setting up of a Tamil Prachar Sabha. The Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha was started by Mahatma Gandhi for the propagation of Hindi in South India. His dream was that Hindi and other regional languages should replace English in independent India. It is a tragedy that even after 17 years of independence, his dream has not been realised. By the mere passing of this Bill, propagation of Hindi will not receive any impetus and Hindi cannot get its rightful place.

The reason is that Government have no firm policy or objective before them, in regard to the language issue. If the Government is really anxious about the promotion of Hindi and other regional languages, it should stop the use of English as a public language. English should not be used in legislatures, courts, offices, universities or other institutions having dealings with the public. But by bringing such Bills Government is creating a

girlf between the north and the south andis giving a weapon to big officers and other vested interests to plead for the continuation of English in the garte of integration of the country. Those who have the development of Hindi and other regional languages at heart should demand the discontinuance of English as an official language. When English is not in the arena, naturally the Indian languages will make progress and take its place. The House should not be asked to pass Bill like this Hardly two percent of the countryis population is English Speaking. Even in Tamilnad, hardly five percent people know English. The common man there has no love for English language. I can understand the apathy of the D.M.K. people towards Hindi. But it is very strange that instead of advocating for Tamil language, they advocate for English. They claim to come from the downtrodden classes and have the welfare of those classes at heart. But they cannot bring about their advancement unless the official business in Tamilnad is not conducted in Tamil. Hindi has no quarrel against Tamil or other Indian languages. It is only for the abolition of English. The D.M.K. friends should have, therefore, waged their battle against English and for the enforcement of Tamil that would have been a justifiable stand. If they would have pressed that Tamil should be adopted in Hindi Speaking States, I would have welcomed that suggestion. But their advocacy for English is beyond my comprahension.

The Congress Government is responsible for this state of affairs, because it has its way all over India. It has no firm policy on language or any other issues. The Government is deliberately following this policy for diverting the attention of the people from its weaknesses. The medium of examinations for entry into all India services should be Hindi and other Indian languages and not English. There should be reservation in Govt. services on provincial or population basis for some years, to dispel the doubts lurking in the minds of the people of south India.

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही दक्षिण भारत में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा चालू की थी। यह बड़े खेद का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हम हिन्दी को राज भाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर सके हैं और एक विदेशी भाषा अभी भी हमारी मुख्य राजभाषा के रूप में कायम है। प्रत्येक प्रादेशिक भाषा को उन्नति करने तथा उसे राष्ट्र में अपना उचित स्थान प्राप्त करने का अवसर दिया जाये। मैं चाहता हूं कि समस्त विश्वविद्यालयों में उच्चत्तम स्तर तक मातृ-भाषा में ही शिक्षा दी जाये। इससे डी० एम० के० के मित्रों के सन्देह दूर हो जायेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी के साथ-साथ अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग की अनुमति होनी चाहिये। उम्मीदवारों के चुन लिये जाने के बाद उन्हें हिन्दी तथा अन्य आवश्यक बातों के बारे में शिक्षा दी जा सकती है। परन्तु जब तक ऐसी परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक लोगों में यह मनमुटाव बना रहेगा और हिन्दी को राजभाषा नहीं बनाया जा सकेगा।

सरकार को भाषा के प्रश्न को साहस के साथ हल करना चाहिये। हमें हिन्दी के साथ-साथ अन्य प्रादेशिक भाषाओं का भी विकास करना चाहिये और उन्हें भी राष्ट्र भाषाओं के रूप में मान्यता देनी चाहिये। प्रादेशिक भाषाओं को संघ लोक सेवा की परीक्षाओं का माध्यम बना देने से आधा झगड़ा समाप्त हो जायेगा। प्रादेशिक भाषाओं का पूर्ण विकास हो जाने पर अहिन्दी भाषी लोगों के सन्देह दूर हो जायेंगे।

[श्री ओझा]

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने जा रही हैं। ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ही हम हिन्दी का प्रसार कर सकते हैं। सरकार को राष्ट्रपिता द्वारा चलाई गई इस संस्था को प्रत्येक सहायता प्रदान करनी चाहिये।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिये एक राष्ट्रीय ध्वजा, राष्ट्रीय भाषा तथा सामूहिक संविधान का होना बहुत जरूरी है। अतः इस बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। संविधान में हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। परन्तु इसका पालन करने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी भाषा विधेयक पास किया गया था। उस अधिनियम के होते हुए अहिन्दी भाषी लोगों को उनके ऊपर हिन्दी लादे जाने का कोई डर नहीं होना चाहिये। उनकी सहमति से ही हिन्दी राज भाषा बनायी जायेगी।

तमिलनाड के तथा कुछ अन्य माननीय मित्रों ने यह आपत्ति की है कि हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषायें इतनी उन्नत नहीं हैं कि वे राजभाषा का स्थान ले सकें। यदि सरकार हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं का विकास करने के लिये कोई कदम उठाती है, तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है उनका यह कर्त्तव्य है कि वे हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति के लिये कार्य करें। लोकतंत्र में इस बात का होना जरूरी है कि राजकीय कार्य उसी भाषा में किया जाये जिसे आम लोग समझते हों, ताकि वे सरकारी नीतियों की सराहना कर सकें।

जो कुछ हम करते हैं, उसका लोगों को कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि लोगों की भाषा का प्रयोग नहीं करते। जब तक हम चाहे राज्यों में और चाहे केन्द्र में उसी भाषा में कानून और नियम नहीं बनायेंगे जिस भाषा को कि आम लोग समझते हैं, तब तक हम उन्हें कुछ समझा नहीं सकते। यदि हम देश में लोकतंत्र को उचित ढंग से चलाना चाहते हैं तो सरकार को हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं का विकास करना होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले कुछ वर्षों में इन भाषाओं में काफी प्रगति हो जायेगी और उनमें सरकारी काम काज करने की क्षमता पैदा हो जायेगी।

विधेयक में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा किये गये शानदार कार्य को मान्यता दी गयी है और इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था माना गया है। इस सभा की स्थापना ४५ वर्ष पूर्व की गयी थी और श्री राज गोपालाचार्य ने भी उसके लिए बहुत काम किया था। उस समय इस मामले पर कोई विवाद नहीं था। लाखों लोगों ने इस संस्था के माध्यम से हिन्दी सीखी है। मेरा निवेदन है कि सभा को राष्ट्रीय संस्था का स्थान देना स्वागत योग्य है तथा विधेयक पारित किया जाना चाहिए।

Shri Himatsingka (Godda) : I Support this Bill. I am aware of the work done by Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. Nearly 70 to 75 lakhs of people must have learnt Hindi through this institution. The recognition that is being given to this institution is absolutely proper and it will further help the cause of Hindi. The bill by granting national status to this institution, sought to recognise the commendable work that it had done in the field of the promotion and propaganda in the South.

I would like to impress upon the Hindi proponents to adopt a liberal outlook in this matter, and treat the non-Hindi speaking people with affection

and fortitude. They should understand their difficulties and encourgae them to learn Hindi. They should never feel that we are imposing Hindi on them. We should also understand that the opposition to Hindi was there mainly because they felt that they would be left behind in the race for jobs. I think if the people of South India learnt Hindi. I am sure they will leave the so called Hindi speaking people much behind.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : I welcome this bill but I doubt whether it will be possible for the Government to implement the spirit underlying this bill. It has been stated here by some learned friends that Hindi enthusiasts are endeavouring to impose Hindi over the non-Hindi speaking people. This is a very wrong impression that we are having in this matter. All that the protagonists of Hindi wanted was to secure for it the place that had been granted to it under the Constitution.

I would like to submit that the problem of the opposition offered to Hindi as the national language was not as simple as it appears to be. It is the separatist tendency which is encouraging this opposition. That is the real danger. I feel that behind this facade of the slogan of the domination of Hindi is working the philosophy which was opposed to the national integration of the country. This philosophy should be very effectively counteracted. We should make all efforts to see that the atmosphere in the South is improved. After this bill is passed the Government should see that wrong language policy is changed and the correct attitude is adopted in this connection.

श्री प० ना० कयाल (जय नगर) : स्वतंत्रता के बाद यह जरूरी था कि हमारी कोई राष्ट्र भाषा होती। परन्तु प्रश्न यह है कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाय। इस देश में बहुसंख्या में लोग हिन्दी बोलते हैं, अत: आम राय यह है कि हिन्दी को ही राष्ट्र भाषा बनाया जाना चाहिये। यह ठीक है परन्तु हिन्दी के समर्थकों को यह भी समझना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि हिन्दी अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि अंग्रजी का स्थान ले सके। हिन्दी को काफी समय के बाद ही राष्ट्र भाषा स्वीकार किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि इस बीच इसे विकसित करने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिएं। मैं समझता हूं हमें भाषा की खातिर राष्ट्र की एकता को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हिन्दी की जबरदस्ती किसी पर नहीं लादा जाना चाहिए परन्तु इसे पूर्ण अभिप्रेरणा द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

[MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar): It is wrong to think that the people in the north don't look towards the people of the South with good spirits and that they want to impose Hindi on them against their will. I would submit that the South should shed its fear of being dominated by the North. It has not any reasonable basis. In this connection we should also understand that Hindi alone can be the one language for the whole of the country.

I feel that opposition to Hindi that is coming from some parts of States of Madras & Bengal, is due to the fact that the present day Hindi is losing preponderance of Sanskrit words, which is necessary for the richness of the language. Hindi must be developed along the right lines so that people from the non-Hindi speaking areas should also easily understand it.

[Shri Jagdev Singh Siddhanti]

All the regional languages should be developed properly but only Hindi could be the language that could be used at the centre. I would also like to urge that Hindi should also be made the medium of instruction at the University stage. Hindi should not be imposed on any area against their will it should be voluntarily accepted by all.

In this country we all belong to one nation and we have one culture. This is wrong and dangerous to state that we are not a nation. We must have a language which should be common like of all the dialects.

With these words I welcome this Bill which is at present before the House.

Shri Heda (Nizamabad) : I welcome this bill. I know it from my personal knowledge that the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha had done very commendable work. It has done the work of propagating Hindi in the States of South India. It is good and right that it is being recognised as an institute of national importance through this Bill.

This wrong allegation that the Hindi speaking people wanted to dominate those whose mother-tongue was not Hindi has done more harm than good. This has created grave misunderstandings. We should understand this also that what was really meant by those who made the allegation was that Hindi Should not be made compulsory until people of all the areas had become proficient in the language.

The study of Hindi should have been made compulsory throughout the country and the people of the North should have been required to study one more regional language. It is really pity that English continued as the official language in Hindi areas where something has already been done for the promotion of Hindi. We should remember one thing and that is that the responsibility for the development of Hindi language is not the responsibility of Hindi speaking people. It is the duty of the whole country to develop this language.

Shri Sheo Narain (Bansi) : I feel proud that the people of the different States in South India has done great service for the cause of Hindi. The Government deserved to be congratulated for having decided to declare the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha as an institute of national importance.

I am of the opinion that if the Government had seriously tried to give Hindi it suitable place then they could have succeeded. But it is really very pitiable that no serious attempt had been made in that direction.

In the interests of the national integration the development of Hindi as the national language of the country is very essential item. It is really regrettable that our bureaucracy is creating hindrances in the way of Hindi.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The people belonging to the non-Hindi areas have played an important part in propaganda of Hindi. In this connection there are the names of Swami Dayanand, Bal Ganga Dhar Tilak, justice Sharda Charan Mitra and Shri Krishna Swami of Madras. In the same way Dakshina Bharat Prachar Sabha has done a great work in the different States of South India. The Government deserved thanks for giving credit where it was due in this matter. Also the services of the Rastra Bhasha Prachar Samiti cannot be forgotten. That should also be declared as an institute of national importance.

I am of the opinion that people in the South wanted to learn Hindi and the mere declaration of the Sabha as institute of national importance will not do much. I want that greater facilities for the teaching of Hindi should be provided. A university should also be established in the South with Hindi as medium. I would also like to ask the Government that what had happened to the proposal for establishing of such a university at Gulbarga in Mysore State.

I also want to urge that more scholarships should be given to the students from the South for the study of Hindi language Also adequate steps should be taken to counteract the anti-Hindi propaganda from a section of the people in the Madras State. We should also clearly understand that the opposition is mainly due to political considerations. A glossary of Tatsama words of Sanskrit which were in vogue in the various languages of the country should be prepared. It would help the people to realize the common elements in the different languages of this country.

If the common script for all the languages of India is accepted then most of our language problem will be solved. In this connection, I may state that the unanimous decision of the State Education Ministers for the adoption of Devnagari as a common script for all regional languages should be accepted and implemented as soon as possible. The adoption of a common script would remove the barrier between the various languages and would positively help in bringing the national integration.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका उद्देश्य देश भर में हिन्दी का प्रचार करना है। मेरे विचार में हिन्दी प्रचार की दिशा में यह दूसरे नम्बर की संस्था है जो कि यह काम कर रही है। प्रथम संस्था हिन्दी सम्मेलन है। हिन्दी सम्मेलन इलाहाबाद को सबसे पहले राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। अब हम दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर रहे हैं। मेरे विचार में भाषा का उतना झगड़ा नहीं जितना कि लिपि का है। यदि देश की सभी प्रादेशिक भाषायें देवनागरी को सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार कर लें तो बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। इससे यह भी लाभ होगा कि विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे के निकट आ जायेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस दिशा में साहित्य एकादमी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनायें देवनागरी लिपि में निकाल कर बहुत अच्छा काम किया है मैंने तो यह भी सुझाव दिया था कि बंगाली भाषा के पत्र देवनागरी लिपि में निकाले जायें।

हमारा शिक्षा विभाग हिन्दी के लिए बहुत कुछ कर रहा है परन्तु हमारे उपमंत्री को यह याद होगा कि एक बार प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि शिक्षा विभाग से अधिक तो सिनेमा हिन्दी का प्रचार कर रहा है। मैंने कलकत्ते में देखा है कि हिन्दी की फिल्मों को देखने के लिए भारी संख्या में बंगाली भाषा भाषी भी उमड़ पड़ते हैं। मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के जो प्रयास कर रही है उससे भाषा की समस्या काफी सीमा तक हल हो जायेगी।

एक सुझाव में यह भी देना चाहता हूं कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के एक अधिकारी को "प्रधान मंत्री" कह कर पुकारा जाता है। मेरा निवेदन है कि सभा को अपने जनरल सेक्रेटरी का नाम "प्रधान मंत्री" के स्थान पर कुछ और रखना चाहिये।

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur) : I welcome this bill. Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha has done very good work for the propagation of Hindi in the States of South India. It should be declared as the institute of national

[Dr. L. M. Singhvi]

importance. We all know that the language plays very important part in the process of national integration. It is the duty of the Government to encourage those who engaged in the constructive work like the propagation of our national language.

The development of Hindi has been rather very slow. This slow development of Hindi is due to the fact that the Government had been unable to decide whether or not to make it our national language. It has been very wrongly stated that there is any rivalry between Hindi and the regional languages. This rivalry is more imaginary than real, only some interested parties had given the question a political colour. I can assert that those who opposed Hindi did not represent the sentiments of the people.

I would also urge upon the Government that they may try to get the cooperation of Rajaji who was the pioneer in the introduction of Hindi in the Madras State. It is hoped that the Government would give liberal grants to the Sabha and the number of its centres for teaching Hindi would be increased.

Shri R. S. Pandey (Guna) : I extend my whole-hearted support for this Bill, through I have a feeling that this is a belated attempt.

I support the views expressed by the hon. Members who spoke before me that the opposition to Hindi in South is a politically inspired one. It has no social, cultural or national basis. In the rural areas of Kerala, Mysore and Andhra Pradesh, English language is not as popular as some people are inclined to think. On the contrary, people appreciate the propagation and expansion of Hindi language. They can understand Hindi because they see films and read newspapers. On the other hand, the sentiments expressed for English language are a proof of the fact that the approach of such people is most unpractical. Language holds special significance in bringing national, emotional and geographical integrity. Even foreigners feel sorry to see that we attach so much importance to a foreign language. Today our people do not express their sorrows and delights, their pangs and jubilations, their love and hatred through the medium of English language.

I also feel that the people in North should be made to learn at least one language of the South. Indian culture is highly indebted to South. Such a step would help establish a greater emotional harmony and integrity. Tamil should be made a compulsory language at least upto Primary stage. The literature of the Southern languages should be rapidly translated into Hindi. At railway stations and at other public places, Southern languages should also be used.

Just as a flag, a Parliament, sovereignty and emotional integrity cannot be separated from a nation so is its national language. I hope the people from South will look to the national language with respect and regard.

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : I rise to support this Bill. I feel that unless we get rid of English, no national language can grow and flourish.

I come from a Hindi speaking area but I feel that we can learn Southern languages through Devnagri script. Upto the primary standard, each child should be compulsorily taught all the national languages.

The corruption in the educational field should go. The courses should not be changed frequently. I feel that the Government have not done much for popularising and expansion of Hindi. The people who support English are the stooges of Britishers.

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : विधेयक के समर्थन के लिये माननीय सदस्य बधाई के पात्र हैं। यह विधेयक दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के उन कार्यकर्ताओं के प्रति समुचित श्रद्धांजलि है जिन्होंने जनता में हिन्दी का प्रचार करने के लिए अथक प्रयत्न किये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना गलत है कि हिन्दी लोगों पर जबरदस्ती लादी जा रही है या प्रचारिणी सभा को एक नौकरशाही संस्था बनाया जा रहा है। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। विधेयक के विभिन्न खंडों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार इस पर कम से कम नियंत्रण रखना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सत्ताइसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना): मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

*ग्रामीण जल संभरण

**RURAL WATER SUPPLY

श्री हरिश्चद्र माथुर (जालोर) : इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि गांवों में जल संभरण की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्वास्थ्य इंजीनियरों के सम्मेलन में बोलते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि गांवों में जल संभरण के कार्य की उपेक्षा की गई है। इसीलिए समस्या इतनी गंभीर है। सरकार द्वारा समस्या की गंभीरता को अनुभव करते हुए भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए इस कार्य के लिए केवल ६७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो वर्तमान आवश्कता को देखते हुए अपर्याप्त है। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आवंटित राशि का स्थानीय शासनों द्वारा पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। स्थानीय शासनों द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहिले तीन वर्षों में आवंटित राशि में से केवल ३२ प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया।

एक ओर तो कुछ राज्य आवंटित राशि को पूरी तरह से व्यय नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर कुछ राज्य अधिक राशि प्राप्त करने के लिये बार बार मांग कर रहे हैं। राजस्थान भी उन में से एक राज्य है जहां गांवों में जलसंभरण की दिशा में बहुत काम किया गया है और बार बार मांग करने पर जिसे इस कार्य के लिए धन नहीं दिया जा रहा है। वर्ष १९६४-६५ के लिए राजस्थान में जलसम्भरण के लिए ८३ लाख रुपये की मांग करने पर राज्य को केवल २० लाख रुपये दिये गये हैं। मैंने इस संबंध में २ अप्रैल, १९६४ को प्रश्न उठाया था

*आधे घंटे की चर्चा
**Half-an-hour discussion.

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

और स्वास्थ्य मंत्री को बताया था कि राजस्थान में जल संभरण के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त राशि नहीं दी जा रही है । मुझे उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार ने आवंटित राशि का तो उपयोग किया नहीं है, किन्तु और अधिक राशि की मांग की जा रही है । राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया द्वारा दूसरे ही दिन स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य का खंडन किया गया ।

वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त धन न दिये जाने के कारण जल संभरण की समस्या तेजी से हल नहीं की जा सकी । तीसरे पंचवर्षीय योजना काल के लिये राज्य में इस कार्य के लिए २ करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे । योजना के पहिले ३ वर्षों में ११६.३६ लाख रुपये इस कार्य पर खर्च हो चके हैं। चौथे वर्ष के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ८३ लाख रुपये की मांग की गई थी। किन्तु केन्द्र सरकार ने केवल २० लाख रुपये मंजुर किये ।

राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में पानी की सब से अधिक कमी है। वहां पर लोग तालाबों में बारिश का पानी पीने के लिए जमा कर लेते हैं। कई स्थानों पर तो लोग इतना गंदा पानी पीते हैं जिसे शायद जानवर भी न पीयें । स्वास्थ्य मंत्री ने बीकानेर के दौरे के समय यह सब अपनी आंखों से देखा । धन के अभाव के कारण इन स्थानों में अब तक पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं हो सकी । यहां तक की २२ मार्च, १९६४ को राजस्थान जल बोर्ड की बैठक को धन के अभाव के कारण स्थगित करना पड़ा क्योंकि जब तक धन नही होगा तब तक बोर्ड द्वारा कोई योजना तैयार करना निरर्थक ही समझा जायेगा ।

मंत्रालय का यह कहना गलत है कि गांवों में जल संभरण की खराब स्थिति के लिये राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। स्वास्थ्य मंत्री यह स्वीकार कर चुकी हैं कि राज्यों में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति न होने पर केन्द्र सरकार चुप नहीं बैठ सकती है । अतः सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस ओर उचित ध्यान दे।

जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, वह इसके लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं है । राजस्थान सरकार वर्ष १९५९ से राजस्थान जल संभरण की उचित व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दे रही है । राज्य सरकार ने इस संबंध में जांच करने के लिए समिति नियुक्त की । समिति ने अपने प्रतिवेदन में जल संभरण के लिए १३ करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है । यह प्रतिवेदन तीसरी पंचवर्षीय योजना चालू होने से पहले ही केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया था । प्रतिवेदन पर किसी प्रकार कार्यवाही न देखकर अक्टूबर, १९६२ में राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने स्वास्थ्य मंत्री को एक अर्द्धशासकीय पत्र लिखा जिस में उन्होंने मंत्रालय से स्पष्ट रूप से यह मांग की थी कि राजस्थान में ग्रामीण जल संभरण के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहिले वर्ष १·५० करोड़ और दूसरे वर्ष ३·५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । इसी प्रकार अन्य अगले तीन वर्षों के लिए भी धन की मांग की गई थी। किन्तु इस कार्य के लिये पूरे योजना काल में केवल २ करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई । राजस्थान सरकार इस कार्य पर केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई धन राशि में से ५४ लाख रुपये योजना के पहिले वर्ष और ३३ लाख रुपये दूसरे वर्ष

खर्च कर चुकी है । तीसरे वर्ष के लिये यह राशि घटा कर केवल २० लाख रुपये कर कर दी गई है जब कि इस वर्ष के लिए ८३ लाख रुपये की मांग की गई थी । सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

मैंने इस संबंध में योजना आयोग और स्वास्थ्य मंत्री दोनों से पत्रव्यवहार किया ; और योजना आयोग के एक सदस्य से भी सम्पर्क बनाये रखा । मुझे आयोग के सदस्य ने फरवरी के महीने में बताया कि मामले पर विचार किया जा रहा है । अभी तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

वर्ष १९६४-६५ के लिए आवंटित राशि से कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पायेगा ।

नयी योजनाओं को चालू करने की बात अलग रही जिन योजनाओं का कार्य इस समय चालू है उन्हें पूरा करने के लिए लगभग ४०–५० लाख रुपये की आवश्यकता होगी । सरकार को जल के अभाव वाले क्षेत्रों की कठिनाइयों को दृष्टि में रख कर वर्ष १९६४–६५ में कम से कम १.५ करोड़ रुपये देने चाहिएं जिस से पानी की समस्या को हल किया जा सकेगा । इस कार्य के लिये अगले वर्ष ३·५० करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी ।

जल संभरण की समस्या केवल एक राजस्थान की ही नहीं है अपितु अन्य कई राज्यों में भी पानी के अभाव के कारण लोगों को बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । सरकार को इस संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर विचार करना चाहिए ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सभा में इस सत्र में जल संभरण की समस्या पर दो बार आधे घंटे की चर्चा की जा चुकी है । सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा दिये गये अस्पष्ट वक्तव्य ही इनका मुख्य कारण हैं । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा अधिक धन राशि आवंटित करने तथा कार्यक्रमों को उचित रूप से कार्य रूप देने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा बलवन्त राय समिति का प्रतिवेदन सभा में चर्चा के लिए क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार ने इस बात का कोई सर्वेक्षण किया है कि पानी के अभाव वाले ऐसे कितने गांव हैं जहां हरिजनों अथवा अनुसूचित जाति के लोगों को कुंओं से पानी नहीं लेने दिया जाता है ? सरकार जब राजधानी में रामकृष्णपुरम तथा नेताजी नगर आदि में पानी की समस्या हल नहीं कर सकी है तो यह कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह ग्रामीण जल संभरण की समस्या को हल करलेगी ?

श्री रंगा (चित्तूर): देश के कई भागों में पानी का इतना अभाव है कि लोग पानी के लिए तरसते हैं । सरकार इस समस्या को दो पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद भी हल नहीं कर पाई है । अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को दक्ष इंजीनियरों, विशेष रूप से भूमिगत जल को निकालने के संबंध में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिये । यह समिति राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आदि स्थानों में जहां जल का अभाव है,

[श्री रंगा]

भूमिगत जल को प्राप्त करने की संभावनाओं का अध्ययन करे । उन के अध्ययन के परिणामों के आधार पर योजना आयोग को ग्रामीण जल संभरण योजना तैयार करनी चाहिए ।

श्री बासप्पा (तिपतुर): मैसूर राज्य के ७०० गांवों में जल का बहुत अभाव है । लोगों को एक ड्रम पानी के लिये एक रुपया तक देना पड़ रहा है । राज्य सरकार ने जल संभरण संबंधी योजना केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की थी किन्तु अभी तक इस कार्य के लिए अंतिम रूप से स्वीकृति नहीं दी गई है । बलवन्तराय समिति के प्रतिवेदन के बारे में अब तक निर्णय क्यों नहीं किया गया है ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में राष्ट्रीय जल संभरण योजना के अन्तर्गत २ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत केवल नलों द्वारा पानी का संभरण करने की व्यवस्था है । कुएं खोदने के लिए योजना आयोग, सामुदायिक विकास तथा सहकार आदि मंत्रालयों द्वारा धन दिया जाता है ।

यह सही है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में दिये गये मेरे वक्तव्य का खंडन किया है । वास्तव में स्थिति इस प्रकार है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए एकत्रित की गई सूचना में राजस्थान सरकार ने मुझे बताया था कि राजस्थान के लिए ३९ लाख रुपये की लागत की २८ योजनायें स्वीकार की गई थीं । किन्तु अब संबंधित मंत्री द्वारा भेजे गये पत्र में बताया गया है कि वहां पर लगभग ७१ अथवा ७८ लाख रुपये नल द्वारा पानी ले जाने की योजना पर व्यय हो चके हैं तथा कुछ और धन राशि कुएं खोदने के काम पर खर्च हो चुकी है । इस प्रकार राजस्थान में कुल निर्धारित राशि का ५० प्रतिशत से भी अधिक खर्च हो चुका है ।

योजना आयोग से बहुत विचार विमर्श के बाद इस वर्ष के लिए राजस्थान में जलसंभरण के लिए ८३ लाख रुपये की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया । किन्तु बाद में योजना आयोग द्वारा बताया गया कि धन की कमी के कारण सारी योयना में कटौती की गई है । इस कटौती में से ७० लाख रुपये अकेले राजस्थान में स्वास्थ्य कार्यों के लिये कम कर दिये गये हैं। यह दुःख की बात है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को कम महत्व दिया गया है ।

यह दुःख की बात है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य के कार्यों के लिए दी गई धन राशि का अन्य प्रयोजनों में प्रयोग करती है । योजना आयोग अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा किसी राज्य के आवंटन में कुछ कटौती करने पर राज्य सरकार इस कम की गई राशि को इस प्रकार समायोजित करती है कि सब से अधिक कटौती स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए आवंटित राशि में से की जाती है । मैं ने इस संबंध में योजना आयोग से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकारों पर जोर दे कि स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए दी गई राशि को अन्य कामों में न लगायें ।

जहां तक संस्थापन पर खर्च होने वाले ७·५ लाख रुपये का सम्बन्ध है, यह ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागों के लिये था किन्तु दुर्भाग्य

की बात है कि सारा व्यय ग्रामीण जल संभरण के लिए दी गई राशि में से किया गय है जिस से वास्तविक जल संभरण की राशि कम हो गई है । राजस्थान में पानी के अभाव से उत्पन्न दयनीय स्थिति को देखते हुए , चालू वर्ष में इस कार्य के लिए राज्य क्षेत्र को और अधिक धन राशि देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। आशा है कि इस में सफलता मिलेगी । परन्तु मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वह स्वास्थ्य के कार्यों के लिए आवंटित राशि में कटौती न करे अन्यथा उन्हें इस कार्य के लिए अपेक्षित राशि मिल सकने में कठिनाई होगी ।

वलवन्तराय मेहता समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद योजना आयोग ने निर्णय किया है कि भविष्य में राज्यों में जल संभरण के लिए सीधा आवंटन नहीं किया जायेगा, अपितु सामुदायिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कुंओं की खुदाई के लिए निर्धारित राशि का कुछ भाग तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत नलों द्वारा जल संभरण करने के लिए कुछ भाग मिला कर राज्यों को दिया जायेगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का यह आरोप गलत है कि सरकार के कार्य भ्रम पैदा करने वाले हैं। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करने के लिए योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर थेकर की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति नियुक्त की गई है ।

ग्रामीण क्षेत्रों की कठिनाइयों का सर्वेक्षण करने के लिए, राज्य सरकारों द्वारा खोज विभाग स्थापित करने पर होने वाले पूरे व्यय को स्वास्थ्य मंत्रालय वहन करता है । सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप हम सब से अधिक अभावग्रस्त क्षेत्रों को, जहां न तो कोई कुंए हैं और न कोई अन्य जल के साधन, सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। इस कार्य के लिए विभिन्न राज्यों के लिए ८ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। राजस्थान को यथासंभव सहायता दी जायेगी ।

जहां तक दिल्ली में रामकृष्णपुरम आदि बस्तियों में पानी के अभाव का संबंध है, मुझे सूचना मिली है कि इन बस्तियों में नीचे के क्वार्टरों में रहने वाले लोग पीने के पानी का प्रयोग अपने बगीचों के लिए करते हैं जिस से पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है । यह बात पारस्परिक भावनाओं से हल की जा सकती है । फिर भी रामकृष्णपुरम में पानी की कमी को दूर करने के लिए दो ट्यूबवेल बनाये जा रहे हैं।

जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, कानून के अनुसार उन्हें पानी लेने से कोई नहीं रोक सकता है । यदि इन लोगों के साथ दुर्व्यवहारपूर्ण बर्ताव किया जाता है तो उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए जिस से समाज विरोधी तत्वों को उचित दंड मिल सकेगा ।

मैसूर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सारी योजनाओं पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है । मैसूर सरकार ने भी आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया है । बंगलौर योजना के लिये राज्य को १८ करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। इस समय राज्य के पास ४–५ करोड़ रुपये की योजनायें क्रियान्वित करने के लिए हैं।

श्री बासप्पा : मैसूर राज्य में लोग १ रुपये प्रति ड्रम के हिसाब से पानी खरीद रहे हैं। इस संबंध में स्थिति क्या है ?

डा० सुशीला नायर : मैं इस में कुछ नहीं कर सकती । यह राज्य सरकार का मामला है । मैं केवल राज्य सरकार को इस बारे में लिख सकती हूं ।

श्री रंगा द्वारा दिये गये सुझाव के संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि खोज विभाग पहले ही स्थापित किया जा चुका है ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, ३० अप्रैल, १९६४/१० वैशाख, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 30, 1964/*Vaisakha* 10, 1886 (*Saka*).

G MGIPND—LSIII—666 (ai) LSD—9-7-64—600